Navkar Associates

IPR Attorney & Advocate (law firm)

- Trade Marks
- Patent
- Patent Infringment
- Copyrights
- Copyright Infringment
- Design Infringment
- Designs
- All type ISO
- Suit Filling
- APEDA
- FSSAI
- Org. Certf.
- HALAL Certf.
- Import / Export
- Trademark Infringment

SECURITY HAI PANA, TO NAVKAR PE HEE JAANA

Director's

Adv. Namrata Jain

Adv. Vijay Soni

Our Team:

ABOUT US

Navkar Associates is a comprehensive Intellectual Property law firm extending IP and Legal services in the corporate world and assisting Indian businesses to procure and protect Intellectual Property Rights across India.

It was established in the year 2016 with a very objective of simplifying the IPR process in India. We uphold highly stringent standards for the caliber of our output and the prompt delivery of outcomes. We are a group of experts with extensive understanding of intellectual property, making us qualified to manage IPR services for our clients. Our aim is to provide all of our clients, who are spread across India, reasonably priced, superior IP services without even having the chance to interact with them face-to-face. We serve individuals as well as prestigious companies. At Navkar Associates, we have the perfect mix of experienced specialists and youthful enthusiasm to handle all your intellectual property demands. Our dedication is focused on attaining success and providing solutions for all tasks related to intellectual property problems. We gain our clients' trust by being transparent with them.

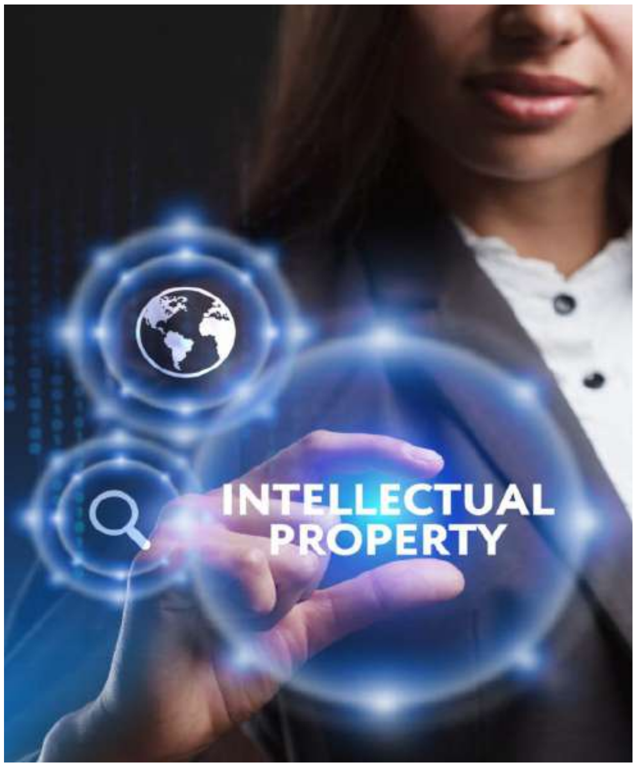

Navkar Associates has a legacy of over five years in IPR Litigation and serves some of the leading Corporates for IP infringement matters. Our experience includes finding the potential infringers for the IP owners through due diligence and conducting raids assessing the market for the same.

Who we are:

Navkar Associates is a large intellectual property law firm headquartered in Indore and also having its branch office in Ahmedabad, India with customers from all over India.

Our People:

Our team consists of experts and professionals having vast and extensive experience in managing and protecting Intellectual Property Rights of our clients.

Our Reach:

We are an intellectual property law firm based in Indore that provides Intellectual Property Services all over India and has developed a reputation across the country.

What we do:

We provide comprehensive advisory and consultancy related to IPR cases.
We have a incredible body of knowledge and experience in the field of IP laws.

TRADEMARK

COPYRIGHT

PATENT

DESIGN

OUR SERVICES

1. TRADEMARK REGISTRATION

A trademark is a symbol, word, or words legally registered or established by use as representing a company or product. Trademark registration is done for using symbols or words to represent a business or the products offered by a business. The trademark registration helps in distinguishing the goods or services provided by a business entity from their competitors. The Trademark is the identity of the Company. It helps in protecting the brand of the business. Once a trademark is registered, no other organization has the right to use it as long as it is being used by the business entity. Navkar Associates have helped several clients with the registration of their trademark all over India.

2. TRADEMARK OBJECTION

Trademark objection takes place when an application is made for the registration of a Trademark and trademark registry has reasons to object to the application and ask for clarification on certain points. Trademark objection must not be considered as a prime facie denial of a trademark. If a valid reason is provided to the registrar about the mark and registration, the objection is removed. An opportunity is provided by the registrar to remove these objections. However, one must submit a comprehensive reply in response to the objection. There are several reasons for Trademark objections like similarity with an existing trademark, offensive trademarks, absence of uniqueness, etc.

3. TRADEMARK OPPOSITION

Trademark opposition happens when a person seeks to oppose the registration of a trademark once the trademark application has been approved by the registrar on the grounds of distinctiveness and published in the journal.

4. TRADEMARK RENEWAL

The validity of the trademark is 10 years. It is necessary to renew trademark registration. Registered trademarks can be renewed by filing a renewal application. Trademark registration can be renewed starting from 6 months before the date of expiry. A notice for intimation of renewal is sent before the date of expiry.
In the case of a person failing to renew the trademark on time, the registrar is at liberty to remove the trademark from the Trademarks journal. The registrar may remove the trademark from the journal however, it can be done by him only after 12 months after the expiry date. The trademark can be renewed even after the expiry date on the payment of a fine through a process called restoration.

5. COPYRIGHT REGISTRATION

A copyright is a collection of rights that automatically vest to someone who creates an original work of authorship like a literary work, song, movie or software. These rights include the right to reproduce the work, to prepare derivative works, to distribute copies, and to perform and display the work publicly. Copyright does not protect the specific idea or information or content but it protects the form and manner in which it is represented. The copyright symbol '©' is used by the owner who have registered copyright.

It is necessary to register for copyright because it gives a person the right to stop a person from using his work without the permission of the author or the creator. The author can charge others for using or changing his work. The copyright is valid for 60 years.

6. DESIGN REGISTRATION

Design registration is a type of intellectual property protection under which a newly created design applied to an article created under an industrial process can be protected from counterfeiting. The design should relate to shape, configuration, pattern, or ornament applied to an article whether in two or three dimensional (or both) forms. It may be applied by any industrial process or means which in the finished article appeals to and judged solely by the eye. Design registration is valid for 10 years which can be further extended for five years.

7. PATENT REGISTRATION

A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem. To get a patent, one has to file an application to register their invention. A patent is a right granted to an individual or enterprise by the government that disallows others from making, using, selling, or importing the patented product or process without approval or consent. Patent filing is the primary step an inventor initiates to protect his or her invention from being misused. The term of the patent protection is 20 years.

8. TRADEMARK RECTIFICATION

Rectification is the legal procedure to correct or rectify an error or an omission that has been made in the details of a trademark as recorded in the trademark register when the basic requirement or formalities for Trademark Registration is incomplete or missing, after the trademark registration. A mark may have been wrongly registered or may have remained on the register even after its expiry.

9. TRADEMARK HEARING

Trademark Hearing is the process of attending and being present before the registrar of Trademark in person or through an attorney with all relevant documents and explanation to remove the objections raised under the Examination Report.

10. ISO CERTIFICATION

ISO Stands for International Standards of Organization. ISO certification is a seal of approval from an independent, non-governmental international organization with a membership of 162 national standard bodies that a company runs to one of the international standards developed and published by the International Organization for Standardization.

- **ISO 9001** is defined as the international standard that specifies requirements for a quality management system (QMS). Organizations use the standard to demonstrate the ability to consistently provide products and services that meet customer and regulatory requirements.

- **ISO 22000** sets out the requirements for a food safety management system and can be certified to it. It maps out what an organization needs to do to demonstrate its ability to control food safety hazards in order to ensure that food is safe.

- **ISO 14001** is the international standard that specifies requirements for an effective environmental management system (EMS). It provides a framework that an organization can follow, rather than establishing environmental performance requirements.

- **ISO 18001** is the international standard for health and safety management systems.

11. ISO CERTIFICATION RENEWAL

The validity of all the ISO is 3 years and therefore it has to be renewed to maintain the reputation of your business entity. Certification gives a business credibility, by ensuring high quality standards. For some industries, certification is a legal or contractual requirement.

12. MSME REGISTRATION

MSME stands for micro, small and medium enterprises, and these represent the backbone of our country. The Government of India supports and promotes MSMEs through various subsidies, schemes and incentives through the MSME Act. One needs to apply for the MSME registration to avail these benefits under the MSMED Act from the Central or State Government.

13. FSSAI REGISTRATION

FSSAI stands for Food Safety and Standards Authority of India which is an organization that monitors and governs the food business in India. It is responsible for the registering and licensing of the Food Business Operators (FBO) in India and it lays down the rules and regulation for running the food business in India.
The FSSAI has been established under the Food Safety and Standards Act, 2006 (FSS Act) which is a consolidating statute related to food safety and regulation in India. It ensures quality of the food products and stops food adulteration quality and sale of sub-standard products. Every person involved in the business related to food must compulsorily obtain FSSAI Registration or License.

FSSAI registration or license is based on the business volume and premises. Depending upon the installed capacity or turnover or location, applicant premises are eligible for the license such as:

- Registration
- State License
- Central License

14. IMPORT EXPORT CODE

Import Export Code (also known as IEC code) is a 10 digit identification number that is issued by the DGFT (Director General of Foreign Trade), Department of Commerce, Government of India. It is also known as the Importer Exporter Code. It is not possible to deal with export or import business without this IEC code. It shows that you have a license and permissions from the Government in order to start Importing or Exporting.

15. APEDA

The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) was established by the Government of India under the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act passed by the Parliament in December, 1985. It provides financial assistance, information, guidelines towards the development of scheduled products. The products specified under the APEDA ACT are called scheduled products and exporters of such scheduled products are required to register under APEDA. The objective of APEDA is to promote scheduled products export and to achieve this various functions has been undertaken by this body under the regulation of the central government.

16. CE MARKING

It is an administrative marking with which the manufacturer or importer affirms its conformity with European health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA). It is not a quality indicator or a certification mark.

17. GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP)

It is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standards. It is designed to minimize the risks involved in any pharmaceutical production that cannot be eliminated through testing the final product. GMP certification means that the manufacturer has demonstrated a strong regulatory commitment and compliance to international GMP standards.

Our Raids

Supremo v/s Sopreno (Indore)

इंदौर-भोपाल-ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

सांध्य दैनिक

गुड इवनिंग

अलग अंदाज, अलग नजरिया

'सुप्रीमो' की नकल कर कंपनी बना रही थी 'सोप्रेनो' तगारी

एक हजार स्टिकर सहित एक लाख की 250 तगारी जब्त

गुड इवनिंग, इंदौर

सुप्रीमो इंडिया प्रायवेट लिमिटेड के नाम की नकल कर सोप्रेनो के नाम से प्लास्टिक तगारी बना रहे सांवेर रोड स्थित कंपनी पर दिल्ली से आई अधिवक्ता व आईपीआर की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। मौके से टीम ने सुप्रीमो इंडिया के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह का उपयोग कर बनाई जा रही 250 तगारी सहित एक हजार स्टिकर जब्त किए।

सुप्रीमो इंडिया प्रायवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार और आईपीआर एडवाइजर विजय सोनी नम्रता जैन द्वारा सुप्रीमो कम्पनी का टैग मार्क का उपयोग कर सांवेर रोड पर बनाई जा रही सोप्रेनो कम्पनी पर कार्रवाई की गई। आईपीआर एडवाइजर नम्रता जैन ने बताया कि कम्पनी के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार के द्वारा दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किया गया जहां दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर हिमांशु चौधरी ने टीम व लोकल पुलिस के साथ मिलकर सांवेर रोड स्थित मुकेश जैन की कम्पनी में पहुंचकर कार्रवाई की। यहां बड़ी मात्रा में तगारी व स्टिकर जब्त किए। यहां पता चला कि मुकेश जैन कम्पनी परिसर में सुप्रीमो इंडिया प्रायवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह का उपयोग कर सुप्रीमो नाम से सामान बनाकर मार्केट में बेच रहा है। लोकल कमिश्नर ने सर्च एंड सीजर कर माल जब्त किया। व्यापारी व कम्पनी मालिक मुकेश जैन ने आरोप लगाया है कि दिल्ली से आई वकीलों की टीम ने पुलिस को खरीदकर उसके वहां छापा मारा है। उसे बेवजह परेशान कर माल जब्त कर कंपनी सील की है। उसका सोप्रेमो के नाम से टैग मार्क रजिस्टर्ड है। डॉक्यूमेंट दिखाने के बावजूद दिल्ली से आई टीम ने कार्रवाई की। कम्पनी मालिक का यह भी कहना है कि उसके वहां से कोई माल दिल्ली से आई टीम ने जब्त नहीं किया है। वही दिल्ली से आई टीम ने 250 तगारी सहित 1 हजार स्टिकर कम्पनी के जब्त होना बताया।

तगारी की कंपनी पर छापा, नामी कंपनी के नाम से बनाकर बेची जा रही थी

इंदौर। बाणगंगा में एक बड़ी कंपनी के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के नाम से मिलते हुए नाम और लोगो बनाकर सामान बेचने वाली कंपनी पर कार्रवाई की है। मामले में उक्त कंपनी की शिकायत थाने में भी की है। इधर, कंपनी के संचालक ने भी अलग नाम होने पर गैर कानूनी बताते हुए कंपनी के अधिकारियों को कार्रवाई करने की बात कही है। सुप्रीमो इंडिया कंपनी के अधिकारी ने बताया कि सोप्रेनो नामक कंपनी सांवेर रोड पर हूबहू नकल कर प्लास्टिक की तगारी बना रही है। पूर्व में दिल्ली में कार्रवाई करते हुए लोकल कमिश्नर की मदद से माल को सीज कराया, वही पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

अग्निबाण

नकली माल का आरोप, छापा

इन्दौर। कल सांवेर रोड पर एक तगारी बनाने की युनिट पर छापा मार कार्रवाई हुई। आरोप था कि नामी कंपनी के माल से मिलता-जुलता मोनो लगाकर माल बाजार में बेचा जा रहा था। हालांकि युनिट के मालिक ने कार्रवाई को मिलीभगत बताते हुए गलत बताया है।

बाणगंगा थाने में सुप्रियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की टीम दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर के साथ पहुंची और पुलिस को लेकर सांवेर रोड पर एक तगारी बनाने की यूनिट में दबिश दी। बताया जा रहा है कि यहां सुप्रीमो कंपनी के मोनो को कॉपी कर उसके रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह का उपयोग किया जा रहा था। मौके से करीब एक हजार स्टीकर और माल जब्त किया है। वहीं कमिश्नर द्वारा सर्च एंड सीज कर माल को सील भी किया गया। उधर यूनिट के कर्ताधर्ता ने भी कार्रवाई करने वालों पर पुलिस से मिलीभगत का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके माल का लोगो सुप्रिमो नही बल्कि सोप्रेनो है। ऐसे में कार्रवाई गलत है, क्योंकि दोनों के नाम अलग-अलग है।

Our Raids

Madhuri v/s Madhur Madhvi (Balaghat)

रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का गलत उपयोग करने पर कार्रवाई

माधुरी तेल बता कर बेच रहे थे मधुर माधवी तेल

हरिभूमि

जबलपुर - सतपुड़ा भूमि

Date 8 July 2021

माधुरी रिफायनरी तेल के हमरूप तेल बेचकर ग्राहकों से धोखाधड़ी

तेल कंपनी ने की कार्यवाही, कार्यवाही को लेकर कंपनी के अधिवक्ताओं और व्यापारी के बीच तीखी झड़प

माधुरी तेल का डुप्लीकेट तेल पकड़ाया, मधुर माधवी के नाम से किया जा रहा था कारोबार

जिले में चल रहा माधुरी तेल का हमशक्ल तेल बेचने का गोरखधंधा

ढाई लाख से ज्यादा का नकली तेल बरामद

» माधुरी तेल के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का गलत उपयोग करने वाली कंपनी पर कार्रवाई

शहर से ढाई लाख के मधुर माधवी लोकल ब्रांड तेल सील : माधुरी रिफाइनर्स के प्रतिनिधियों ने पुलिस के साथ मिलकर की छापेमारी

माधुरी और मधुर माधवी तेल में लेबल का मेल

Our Raids

Kriti v/s Shubh Kirti (Bhopal)

कृति तेल के नाम को कॉपी कर मिलता जुलता और नकली तेल बेचने वाली कंपनी पर बड़ी कार्यवाही

दैनिक गोल्ड अवधेश शर्मा
कृति नुट्रिएंट्स लिमिटेड के लीगल एडवाइज़र नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्तवाओ अंकुर तिवारी और विश्वजीत अहिरवार और आई पी आर एडवाइज़र विजय सोनी, नम्रता जैन, प्रतीक केशरी द्वारा नक़ल कर रही तेल की कंपनी पर शनिवार को बड़ी कार्यवाही की गई कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी की भोपाल की एक कंपनी के द्वारा नव कीर्ति के नाम से तेल बेचा जा रहा है जो की हूबहू कृति के तरह लिखा जाता है कंपनी कृति नुट्रिएंट्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट (कृति) स्टाइल का गलत उपयोग कर नव कीर्ति के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है इसके बाद कृति नुट्रिएंट्स लिमिटेड के लीगल एडवाइज़र नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्तवाओ अंकुर तिवारी और विश्वजीत अहिरवार के द्वारा दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किआ गया दिल्ली कोर्ट के द्वारा इस कार्यवाही के लिए 2 लोकल कमिश्नर नियुक्त किये गए ताकि कर्(य)वाही को पूर्ण रूप से पूरा किआ जा सके, नियुक्त लोकल कमिश्नरो पाखिल चौधरी, पूजा कोहली ने लोकल पुलिस के सहयोग से डुप्लीकेट मॉल बेच रही कंपनी की दुकान और गोदाम परिसर में पहुँच कर कार्यवाही कर तेल के डिब्बे जब्त किये लोकल कमिश्नरो की कार्यवाही में पाया गया की वहा पर कृति नुट्रिएंट्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट (कृति) का गलत उपयोग कर नव कीर्ति के नाम से तेल बेचा जा रहा है जिसमे लोकल कमिश्नरो के द्वारा सर्च एंड सीज़र कर मॉल सील किया गया

कृति इंडिया ने की थी कार्रवाई

दिल्ली कोर्ट के आदेश पर तेल व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर छापा

भोपाल. खाद्य तेल विक्रेता कंपनी कृति इंडिया की शिकायत के बाद दिल्ली कोर्ट के आदेश पर शनिवार को भोपाल में हनुमानगंज स्थित तेल व्यवसायी अग्रवाल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की गई। उनकी दुकान और गोडाउन का माल जब्त किया गया है। कंपनी ने कृति के नाम पर व्यवसाई द्वारा अपना तेल बेचने की शिकायत की थी। हालांकि अग्रवाल स्टोर के संचालक का कहना है कि यह कार्रवाई दुर्भावनावश कराई गई है। उनके तेल के ब्रांड का नाम कृति नहीं बल्कि नवकीर्ति है। उन्होंने किसी भी ट्रेडमार्कका उल्लंघन नहीं किया है।

हनुमानगंज के बाजार में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर छापा मारने अग्रवाल स्टोर पर पहुंचे। दरअसल, दिल्ली कोर्ट में कृति इंडिया कंपनी ने शिकायत की थी कि उनके नाम का उपयोग कर भोपाल और अन्य स्थानों पर नकली तेल बेचा जा रहा है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। दुकान के साथ टीम ने नूरमहल स्थित अग्रवाल स्टोर के गोदाम पर भी छापा मारा और वहां से तेल जब्त किया है। कृति कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि अग्रवाल स्टोर के संचालक को कंपनी ने नोटिस जारी किया था इसके बावजूद वे तेल बेच रहे थे।

कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से आई वकीलों की टीम, सीज कराने ले गई लाखों का तेल

By: Narendra Kushwah | Updated: 22 Mar 2021, 10:25 PM IST

कृति प्रोडक्ट के ट्रेड मार्क के मामले में कार्रवाई दुकानदारों ने किया विरोध,एसपी ने वापस बुलाई टीम

Our Raids

Plasto v/s Polo (Sanawad)

31 प्लास्टिक पानी की टंकियां जब्त

दबंग रिपोर्टर ▸ सनावद

इन दिनों पानी की प्लास्टिक की टंकियां गर्मी के मौसम आने के पूर्व बड़े पैमाने पर बाजार में बिक रही है। इसमें कई ऐसी कंपनियां हैं। जिनके नामों का उपयोग कर अन्य डुप्लीकेट फॉर्म टैंक बाजार में सस्ते दामों पर बेच रहे हैं। ऐसे ही एक दुकान पर टीम ने कार्रवाई कर वहां से 31 प्लास्टिक की पानी की टंकियां जब्त की। आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार, आईपीआर एडवाइजर विजय सोनी, नम्रता जैन द्वारा नकल कर रही टैंक की कंपनी पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि अमृत श्री हार्डवेयर दुकान में पोलो के नाम से टैंक बेचे जा रहे है जो कि हूबहू प्लास्टो की तरह लिखा जाता है। कंपनी आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उपयोग कर पोलो के नाम से प्लास्टिक टैंक मार्केट में बेचे जा रहे है। श्री अहिरवार ने दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किया। दिल्ली कोर्ट ने नियुक्त लोकल कमिश्नर अशोक कुमार ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंच कर कार्रवाई कर टैंक जब्त किए।

लोकल कमिश्नर की कार्रवाई में पाया कि वहां आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उपयोग कर पोलो नाम से टैंक बेचा जा रहा है। जिसमें लोकल कमिश्नर द्वारा सर्च एंड सीजर कर मॉल सील किया गया। कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर श्रवण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कई दिनों से कंपनी को इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी कि उसकी फर्म का नाम से हूबहू नकली प्लास्टिक के टैंक बेचे जा रहे हैं। मामले में पुख्ता सबूत होने के बाद कंपनी द्वारा प्रकरण न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था।

पत्रिका बड़वाह-सनावद

कार्रवाई

दुकानों पर अनाधिकृत लोग बेच रहे थे पानी की टंकियां, जब्त की

पत्रिका लाइव रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सनावद. इन दिनों गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे में पानी की प्लास्टिक की टंकियां बड़े पैमाने पर बाजार में बिक रही है, लेकिन इसमें कई ऐसी कंपनियां हैं। जिनके नामों का उपयोग कर अन्य डुप्लीकेट फर्म भी ऐसे ही पानी के टैंक बाजार में सस्ते दामों पर बेच रहे हैं। नगर की कई दुकानों पर ऐसे अनाधिकृत लोग इस तरह के कार्य में लगे हैं। ऐसे ही एक दुकान पर टीम ने कार्रवाई कर वहां से 31 प्लास्टिक की पानी की टंकियां जब्त कर कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इसका असर नगर में कितना दिखता है। ये तो देखने वाली बात है, लेकिन एक बात सही है कि इस देश में हर सामग्री का डुप्लीकेट मटेरियल बाजार में बड़े पैमाने पर बिक रहा है।

आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार और आईपीआर एडवाइजर विजय सोनी नम्रता जैन द्वारा नकल कर रही टैंक की कंपनी पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि सनावद की एक दुकान में पोलो के नाम से टैंक बेचे जा रहे हैं। जो की हूबहू प्लास्टो के तरह लिखा जाता है।

सनावद। जब्त टंकियों के साथ लोकल पुलिस टीम

कंपनी आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिह्न और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उपयोग कर पोलो के नाम से प्लास्टिक टैंक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसके बाद आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार द्वारा दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किया गया। इसके बाद दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर अशोककुमार ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंच कर कार्रवाई कर टैंक जब्त किए। लोकल कमिश्नर की कार्रवाई में पाया गया कि वहां पर आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड व्यापार चिह्न और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उपयोग कर पोलो नाम से टैंक बेचा जा रहा है। इसमें लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीजर कर माल सील किया गया। इस कार्रवाई के बाद खरगोन रोड पर बड़ी संख्या में देखने वालों की भीड़ जमा हो गई।

कई समय से मिल रही थी शिकायत

कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर श्रवण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले कई दिनों से कंपनी को इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी। कि उसकी फर्म का नाम से हूबहू नकली प्लास्टिक के टैंक बेचे जा रहे हैं। वह इस मामले में पुख्ता सबूत होने के बाद कंपनी द्वारा प्रकरण न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था। जिस मामले में कोर्ट ने निर्देश देते हुए ये कार्रवाई के लिए टीम भेजी।

Our Raids

Plasto v/s Pankaj Plasto (Byavara)

नागपुर की आरसी प्लास्टो कंपनी ने किया था परिवाद दायर

पंकज प्लास्टो पाइप फैक्ट्री पर पहुंची आरसी की लीगल टीम, की सर्चिंग

यह है पूरा मामला, नागपुर में है प्लास्टो कंपनी की फैक्ट्री

पुलिस के साथ धावा बोला, लेकिन कोर्ट के आदेश के पूर्व नहीं मिला नोटिस

कानून अपराध किया

कोर्ट में जवाब देंगे

पंकज प्लास्टो पाइप फैक्ट्री पर पुलिस के साथ पहुंची आरसी प्लास्टो की लीगल टीम, की सर्चिंग

रजिस्टर्ड कंपनी के नाम के उपयोग का आरोप लगाकर किया था परिवाद दायर

रिपोर्टर • मणिधारी टाइम्स, ब्यावरा

बुधवार दोपहर को स्थानीय दो बड़ा गांव के जोड़ पर स्थित पंकज प्लास्टो पाइप फैक्ट्री पर नागपुर की आरसी प्लास्टो की लीगल टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ धावा बोला। दोपहर को अपनी लीगल टीम के साथ पहुंचे आरसी प्लास्टो कंपनी के अधिकारियों ने यहां सर्चिंग की। आरसी प्लास्टो कंपनी का आरोप है कि पंकज प्लास्टो के द्वारा उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है और प्लास्टो नाम का उपयोग कर फायदा कमाया गया है। इसको लेकर आरसी प्लास्टो के द्वारा दिल्ली कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिस पर एक्स पार्टी आर्डर के तहत उनकी लीगल टीम पहुंची और सर्चिंग की। पुलिस की मदद से की गई सर्चिंग में प्लास्टो लेवल के सभी आइटम जप्त किए गए और सीज किए गए। इस कार्रवाई में स्थानीय सिटी थाने की पुलिस लीगल टीम के साथ रही। इधर पंकज प्लास्टो के मालिक पंकज गुप्ता ने बताया कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कोई टीम उनकी फैक्ट्री में आने वाली है। जबकि उन्हें इस बारे में कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है।

इनका कहना है हमारी कंपनी आरसी प्लास्टो देश की मशहूर कंपनी है और देश बार मे प्लास्टिक आइटम बेंचते है। हमारे नाम प्लास्टो का दुरुपयोग कर पंकज प्लास्टो ने कानूनन अपराध किया है। इसको लेकर हमने परिवाद दायर किया था। आदेश के बाद ही हमारी टीम यहां पहुंची है। पालस्टो लेबल के सभी आइटम सीज किये है। *–नम्रता जैन, लीगल रिप्रजेंटेटिव आरसी प्लास्टो*

30 लाख के पाइप व तगाड़ियां सीज

प्लास्टो ट्रेडमार्क का उपयोग कर बन रहे थे नकली पाइप

हरिभूमि न्यूज ▸▸ ब्यावरा

रजिस्टर्ड प्लास्टो ट्रेडमार्क का उपयोग कर ब्यावरा में नकली पाइप तैयार किए जा रहे थे। प्लास्टो कंपनी की शिकायत पर दिल्ली कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश पर बुधवार को आई दिल्ली की टीम ने ब्यावरा पंकज प्लास्टो इंडस्ट्रीज पर सर्चिंग की। कार्रवाई के दौरान ब्यावरा की फैक्ट्री में बने 30 लाख रुपए कीमत के प्लास्टिक पाइप एवं तगाड़ियां सीज की गई है। अब आगामी 24 फरवरी को ब्यावरा की प्लास्टिक फैक्ट्री मालिक को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है। दरअसल आरसी प्लास्टो टैंक्स एंड पाइप्स लीगल एडवायजर नवकार एसोसिएट्स नागपुर महाराष्ट्र को शिकायतें मिल रही थी कि, ब्यावरा में पंकज प्लास्टो इंडस्ट्रीज ब्यावरा प्लास्टो के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह प्लास्टो का उपयोग कर नकली पाइप बनाकर कम कीमत में प्लास्टिक के पाइप बेचे जा रहे है। इस पर कंपनी वकील अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार ने दिल्ली के कॉमर्शियल कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इस पर कोर्ट ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सचिन नाहर को लोकल कमिश्नर नियुक्त कर पंकज प्लास्टो इंडस्ट्रीज ब्यावरा की सर्चिंग के आदेश दिए थे। इसके बाद बुधवार सुबह अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार, आईपीआर एडवायजर विजय सोनी, नम्रता जैन कोर्ट से नियुक्त किए गए लोकल कमिश्नर नाहर ब्यावरा पहुंचे और शहर थाना पुलिस के साथ पंकज प्लास्टो इंडस्ट्रीज एबी रोड पहुंचकर मीडिया की मौजूदगी में सर्चिंग की कार्रवाई की।

कार्रवाई हुई है

पंकज गुप्ता, संचालक पंकज प्लास्टो ब्यावरा

कार्रवाई नागपुर की कंपनी का ट्रेडमार्क का उपयोग कर प्लास्टो के नाम से बनाए व बेचे जा रहे थे पाइप

पंकज प्लास्टो फैक्टरी सील, 24 को दिल्ली कोर्ट में रखना होगा पक्ष

जागरण, ब्यावरा

24 फरवरी तक के लिए फैक्टरी सील

प्लास्टो कंपनी को पहुंचा रहे थे नुकसान

राजगढ़/ब्यावरा

नवभारत

ब्यावरा में बन रहा था नागपुर का प्लास्टो पाइप

नागपुर की कंपनी के ट्रेडमार्क का उपयोग ब्यावरा में करने पर की कार्रवाई

टीम के साथ कार्य में जुट जायें कार्यकर्ता

Our Raids

Calama v/s Calama (Shimoga)

अधिवक्ता श्री अंकुर तिवारी ने बताया कि कैलामा एक्वा प्रा.लि. बंगलौर में एक मुख्य आउटलेट और शिमोगा (शिवमोग्गा) में अन्य आउटलेट हैं, जहां वे कलमा सेलस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर के ब्रांड कालमा का उपयोग करके पानी पंप और अन्य उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं।

वादी के अधिवक्ता श्री अंकुर तिवारी और कंपनी के प्रतिनिधि श्री मुकेश मेहता की उपस्थिति में श्री वरुण खन्ना को बैंगलोर परिसर के लिए स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया गया।

अकेले शिमोगा (शिवमोग्गा) परिसर में कैलामा के ब्रांड नाम से 1.5 करोड़ रुपये के भारी मात्रा में पानी के पंप जब्त किए गए हैं।

शिमोगा (शिवमोग्गा) परिसर में छापेमारी वादी अधिवक्ता श्री विश्वजीत अहिरवार और आईपीआर के सलाहकार मिस नम्रता जैन और श्री विजय सोनी की मौजूदगी में की गई, जहाँ भारी मात्रा में पानी के पंप जब्त किए गए हैं।

ट्रेडमार्क उल्लंघन : बैंगलोर और शिमोगा (शिवमोग्गा) ...ापेमारी,जब्त किए गए 1.5 करोड़ मूल्य के ...ग।

ವಿಜಯವಾಣಿ ನಂ. 1

1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಜಪ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನೀರಿನ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

» ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಯಾಲಮಾ ಅಕ್ವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಯಾಲಮಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಲಮಾ ಅಕ್ವಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀರಿನ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂಧೋರ್‌ನ ಕ್ಯಾಲಮಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ವಕೀಲ ಅಂಕುರ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುಖೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ವರುಣ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಮಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ನೀರಿನ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Bengaluru Edition
Apr 21, 2021 Page No. 5
Powered by : eReleGo.com

Our Raids

Kriti v/s Nav Kirti (Bhopal)

तेल व्यापारी के गोदाम और दुकान पर छापा

हनुमानगंज में शनिवार दोपहर तेल व्यापारी के गोदाम और दुकान पर छापामार कार्रवाई में चार सौ टीन तेल बरामद किया गया। व्यापारी की शिकायत मिली थी कि वह न्यू कीर्ती कंपनी का तेल कृति के नाम से बेच रहा है। कार्रवाई में कंपनी के प्रतिनिधि समेत हनुमानगंज पुलिस मौजूद रही। जानकारी के अनुसार उक्त छापे दिल्ली से आई टीम ने शनिवार दोपहर तेल व्यापारी अग्रवाल के ठिकाने पर मारे। करीब सात साल से व्यापारी के पास कृति की डीलर शिप थी। सूचना मिली थी कि डीलर शिप की अवधि खत्म होने के बाद व्यापारी कृति के नाम से मिलता-जुलता तेल बेच रहा है। जिसके बाद टीम हनुमानगंज और शाहजहांनाबाद में गोदाम पर पहुंची थी।

कृति तेल के नाम को कॉपी कर मिलता जुलता और नकली तेल बेचने वाली कंपनी पर कार्यवाही

3/27/2021 06:47:00 pm | No comments |

कृति तेल के नाम को कॉपी कर मिलता जुलता और नकली तेल बेचने वाली कंपनी पर कार्यवाही

भोपाल। कृति नुट्रिएंट्स लिमिटेड के लीगल एडवाइज़र नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्तवाओ अंकुर तिवारी और विश्वजीत अहिरवार और आईपीआर एडवाइज़र विजय सोनी, नम्रता जैन, प्रतीक केशरी द्वारा नक़ल कर रही तेल की कंपनी पर शनिवार को बड़ी कार्यवाही की गई । कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी की भोपाल की एक कंपनी के द्वारा नव कीर्ति के नाम से तेल बेचा जा रहा है जो की हूबहू कृति के तरह लिखा जाता है ।कंपनी कृति नुट्रिएंट्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट (कृति) स्टाइल का गलत उपयोग कर नव कीर्ति के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके बाद कृति नुट्रिएंट्स लिमिटेड के लीगल एडवाइज़र नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्तवाओ अंकुर तिवारी और विश्वजीत अहिरवार के द्वारा दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किआ गया । दिल्ली कोर्ट के द्वारा इस कार्यवाही के लिए 2 लोकल कमिश्नर नियुक्त किये गए ताकि कर्व्यवाही को पूर्ण रूप से पूरा किआ जा सके, नियुक्त लोकल कमिश्नरो पाक्षिल चौधरी, पूजा कोहली ने लोकल पुलिस के सहयोग से डुप्लीकेट मॉल बेच रही कंपनी की दुकान और गोदाम

2022
RAIDS TO BE CONTINUED

Our Raids

Plasto v/s Plastoline (kolhapur)

नामवंत कंपनीच्या नावे बनावट पाण्याच्या टाक्या

कुशिरे येथे कारवाई; पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त

कोडोली, ता. १९ : कुशिरे (ता. पन्हाळा) येथे नामवंत कंपनीच्या नावाचा वापर करून बनावट पाण्याच्या टाक्यांचे उत्पादन केले जात असल्याप्रकरणी कंपनीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली. कारवाईत पाच लाखांचा मुद्देमाल व कंपनी सील केली.

मिळालेली माहिती अशी, कुशिरे येथे कंपनीमार्फत पाण्याच्या टाकीचे उत्पादन केले जात आहे. कंपनीने नामांकित कंपनीच्या नावात साम्य असल्यासारखे नाव दिले आहे. ही माहिती नामांकित कंपनीस मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबतची सत्यता पडताळणीसाठी न्यायालयाने लोकल कमिशनरची नियुक्ती केली होती. या कमिशनरच्या पथकाने आज प्रत्यक्ष पाहणी करून तयार पाण्याच्या टाक्या, कच्चा माल, साधनसामग्री व मशीन असे सुमारे रुपये पाच लाखाचे साहित्य व कारखाना सील केला. कारखाना गेली सुमारे सात ते आठ वर्षांपासून चालू आहे. कारवाईत कंपनीचे कायदेशीर सल्लागार नवकार, नम्रता जैन, आशिष विश्वकर्मा, विजय सोनी आदी उपस्थित होते. ही कारवाई कोडोली पोलिसांसमक्ष केली. यावेळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर पोवार, नामदेव सुतार, संभाजी खटाळ, सागर कुंभार उपस्थित होते.

पुढारी

बनावट प्लास्टिक टाक्या बनविणारी कंपनी सील

कुशिरेत कारवाई : पाच लाखांचा माल जप्त

कंपनीतील जप्त केलेला माल.

कोडोली : पुढारी वृत्तसेवा

प्लॅस्टो कंपनीच्या नावाचे बनावट लेबल लावून पाणी साठविण्याच्या प्लास्टिकच्या टाक्या बनवून विक्री केल्याप्रकरणी कुशिरे (ता. पन्हाळा) येथील प्लॅस्टो लाईन कंपनी सील केली. प्लॅस्टो कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी दुपारी ही कारवाई केली. यावेळी ५ लाखांचा कच्चा माल, यंत्रसामुग्री व १५ टाक्या जप्त केल्या.

केर्ली-जोतिबा रस्त्यावरील इंडस्ट्रीज परिसरात दीपक पोतदार यांची प्लॅस्टो लाईन कंपनी आहे. या कंपनीमध्ये पाणी साठविण्याकरिता प्लास्टिकच्या टाक्या तयार करण्यात येतात. या टाक्यांवर प्लॅस्टो या नामवंत कंपनीच्या नावाचा वापर करून टाक्या प्लॅस्टो लाईन कंपनी बाजारात सात वर्षांपासून विक्री करीत असल्या[...] प्लॅस्टो कंपनीचे जिल्हा मार्केटि[...] अधिकारी जीवन डोंगळे यांच्[...] निदर्शनास आले. कुशिरे येथील प्लॅस्[...] लाईन या कंपनीतून प्लॅस्टो लाईन[...] लेबल लावून त्याची विक्री बाजारा[...] होत असल्याचे पुरावे प्लॅस्टो कंपनी[...] न्यायालयात सादर केले. प्लॅस्[...] कंपनीचे नम्रता जैन, विजय सोनी, ॲड[...] विश्वजित आहीरवार यांनी गुरुवा[...] दुपारी कंपनी सील केली.

Kolhapur Edition
Aug 20, 2021 Page No. 5
newspaper.pudhari.co.in

प्लास्टोची बनावट टाकी बनवणारी कंपनी सील

कुशिरे : येथील प्लास्टो लाईन कंपनी सील करण्यात आली. यावेळी आशिष विश्वकर्मा, विजय सोनी, नम्रता जैन, फौजदार सागर पवार, जीवन डोंगळे.

प्रतिनिधी
वारणानगर

- दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई

कुशिरे (ता. पन्हाळा) येथील औद्योगिक वसाहतीत प्लास्टो कंपनीची बनावट टाकी बनवणारी प्लास्टो लाईन कंपनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गुरुवारी सील केली. आरसी प्लास्टो टँक अँड पाईप्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे कायदेशीर सल्लागार आशिष विश्वकर्मा, नवकार असोसिएट्सचे वकील आणि आयपीआर सल्लागार विजय सोनी, नम्रता जैन यांनी ही कारवाई केली.

प्लास्टो कंपनीच्या नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आणि कॉपीराइट शैलीचा वापर करून प्लास्टोलाईनच्या नावाने टाक्या विकल्या जात आहेत, अशा तक्रारी कंपनीला कोल्हापूरच्या एका कंपनीकडून सातत्याने येत होती. याची दखल घेऊन ही कारवाई केली. विश्वकर्मा, सोनी, जैन यांनी आरसी प्लास्टो टँक अँड पाईप्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने दिल्ली न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यामध्ये न्यायालयाने स्थानिक कोर्ट कमिशन नेमून कारवाईचे आदेश दिल्यावर कुशिरे येथे प्रत्यक्ष प्लास्टो लाईन कंपनीत येवून तयार केलेली टाकी, बनावट ट्रेडमार्क व इतर साहित्यासह पाच लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. कोल्हापूर येथील पोतदार हे प्लास्टो लाईन कंपनी चालवत होते. त्यांनी दिल्ली न्यायालयाने नेमलेल्या स्थानिक कमिशनला सहकार्य करीत न्यायालयात उपस्थित राहण्याची नोटीस स्विकारली.

कंपनीच्या नावाचा व ट्रेडमार्कचा फंडा वापरून कमी दर्जाच्या व लगेच खराब होणाऱ्या टाक्या बाजारात विकल्या जात असल्याच्या तक्रारीवरून ही कारवाई केल्याचे प्लास्टो कंपनीचे कोल्हापूर येथील मार्केटिंग मॅनेजर जीवन डोंगळे यांनी सांगितले.

Tarun Bharat

लोकमत

कुशिरे येथे बनावट टाकी उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यावर छापा

कोडोली : नामवंत कंपनीच्या नावाने बनावट (नक्कल) पाण्याच्या टाक्यांचे उत्पादन केले जात असल्याप्रकरणी कुशिरे, ता. पन्हाळा येथील एका कंपनीवर गुरुवारी कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोर्ट कमिशनरमार्फत करण्यात आली.

याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, कुशिरे येथील केर्ली जोतिबा मार्गावर एका कंपनीमार्फत पाण्याच्या टाकीचे उत्पादन केले जात आहे. या कंपनीने नामांकित कंपनीच्या नावात साम्य असल्यासारखे नाव दिले आहे. ही माहिती नामांकित कंपनीस मिळाल्याने त्यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबतची सत्यता पडताळणीकरिता न्यायालयाने लोकल कमिशनरची नियुक्ती केली होती. या कमिशनरच्या पथकाने गुरुवारी प्रत्यक्ष पाहणी करून सुमारे पाच लाख रुपयांच्या साधनसामुग्री व कारखानाही सील करण्यात आला आहे. या कारवाईत कंपनीचे लीगल ॲडव्हायझर नवकार, नम्रता जैन, आशिष विश्वकर्मा, विजय सोनी आदी उपस्थित होते.

Our Raids

Plasto v/s Shree Plasto (Raipur)

पत्रिका

दिल्ली की कंपनी की डुप्लीकेट टंकी बना रहा था रायपुर का कारोबारी, आयुक्त ने की कार्रवाई

By: Ashish Gupta | Published: 18 Aug 2021, 12:02 PM IST

आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स कंपनी के नाम से गोंदवारा इलाके में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर आयुक्त की टीम ने कार्रवाई की है।

रायपुर. आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स कंपनी के नाम से गोंदवारा इलाके में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर आयुक्त की टीम ने कार्रवाई की है। गोंदवारा स्थित धोरामनाथ इंडस्ट्री नाम की फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनी का स्टीकर लगाकर प्लास्टिक की पानी टंकी प्लास्टो कंपनी के नाम से बनाई जा रही थी। यह सूचना दिल्ली से संचालित फैक्ट्री के टीम को मिली थी। टीम ने मामले में हाईकोर्ट में पीटिशन लगाई। पीटिशन लगने पर हाईकोर्ट ने आयुक्त श्रेया वेदांतिका मेहरा को कार्रवाई के लिए नियुक्त किया और खमतराई पुलिस की मदद से आयुक्त ने कार्रवाई की है। आयुक्त ने गोंदवारा स्थित धोरामनाथ इंडस्ट्री के संचालक को नोटिस देकर 10 नवंबर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

लंबे अर्से से मिल रही थी शिकायत

जानकारी के मुताबिक आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता आशीष विश्वकर्मा और आइपीआर एडवाइजर विजय सोनी, नम्रता जैन की मौजूदगी में आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि रायपुर की एक कंपनी में श्री प्लास्टो के नाम से पानी टैंक बेचे जा रहे हैं। जो की प्लास्टो की तरह लिखा जाता है। कंपनी आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कापीराइट स्टाइल का उपयोग कर श्री प्लास्टो के नाम से प्लास्टिक टैंक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। आयुक्त श्रेया वेदांतिका मेहरा ने मंगलवार को कंपनी में कार्रवाई कर प्रोडक्ट को सील किया है।

ब्रांडेड कंपनी का स्टीकर लगाकर बेची जा रही थी डुप्लीकेट टंकी

गोंदवारा स्थित धोरमनाथ इंडस्ट्री के नाम से चल रही फैक्ट्री पर कार्रवाई करते टीम के अधिकारी। ● नईदुनिया

एक नजर

- आरसी प्लास्टो टैंक के नाम पर चल रहा था खेल
- कोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस टीम ने मारा छापा

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राजधानी में डुप्लीकेट प्लास्टिक की पानी टंकी बनाने वाली कंपनी में दिल्ली की टीम ने कार्रवाई की है। गोंदवारा स्थित धोरामनाथ इंडस्ट्री नाम की फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनी का स्टीकर लगाकर प्लास्टिक की पानी टंकी प्लास्टो कंपनी के नाम से बनाई जा रही थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और विजलेंस टीम ने दिल्ली से रायपुर पहुंचकर दबिश दी।

जानकारी के मुताबिक आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता आशीष विश्वकर्मा और आइपीआर एडवाइजर विजय सोनी, नम्रता जैन द्वारा नकल कर रही टैंक की कंपनी पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि रायपुर की एक कंपनी में श्री प्लास्टो के नाम से पानी टैंक बेचे जा रहे हैं। कंपनी आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिह्न और रजिस्टर्ड कापीराइट स्टाइल का उपयोग कर श्री प्लास्टो के नाम से प्लास्टिक टैंक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसके बाद आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता आशीष विश्वकर्मा द्वारा दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किया गया।

दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर श्रेया वेदांतिका मेहरा ने खमतराई पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंच कर कार्रवाई कर टैंक जब्त किया। लोकल कमिश्नर की कार्रवाई में पाया गया कि वहां पर आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड व्यापार चिह्न और रजिस्टर्ड कापीराइट का उपयोग कर श्री प्लास्टो नाम से टैंक बेचा जा रहा है, जिसमें लोकल कमिश्नर द्वारा सर्च एंड सीजर कर माल सील किया गया।

Our Raids

Plasto vs Polo

भूमिका भास्कर www.bhumikabhaskar.com | Digital Edition
सागर, 24 सितंबर 2021, शुक्रवार

प्लास्टो के लोगो और स्टाइल की कॉपी कर मिलती जुलती नकली टंकी की कंपनी पर बड़ी कार्यवाही

भूमिका भास्कर संवाददाता | खरगौन

आर सी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता अंकुर तिवारी और आईपीआर एडवाइजर विजय सोनी, नम्रता जैन, प्रतीक केशरी द्वारा नजल कर रही टैंक की कंपनी पर गुरुवार को बड़ी कार्यवाही की गई कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी की बरवाहा की एक कंपनी में पोलो के नाम से टैंक बेचे जा रहे है जो की हूबहू प्लास्टो के तरह लिखा जाता है कंपनी आर सी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उपयोग कर पोलो के नाम से प्लास्टिक टैंक मार्केट में बेचे जा रहे है इसके बाद आर सी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किआ गया।

दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर अभिषेक ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंच कर कार्यवाही कर टैंक जब्त कि लोकल कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया कि वहा पर आर सी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उपयोग कर पोलो नाम से टैंक बेचा जा रहा है जिसमे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीजर कर मॉल सील किया गया

कापीराइट का उल्लंघन मामले में कार्रवाई, दो टंकियां जब्त

ब्रांड नेम के पहले अक्षर की आकृति समान होने पर कार्रवाई

बड़वाह (नईदुनिया न्यूज)। प्लास्टिक की टंकियां बनाने वाली दो कंपनियों के बीच कापीराइट अधिनियम की धाराओं में प्रावधान का उल्लंघन होने के आरोप में दिल्ली के एक कोर्ट के आदेश पर बड़वाह में एक दुकान पर कार्रवाई हुई। निर्माता कंपनी द्वारा फोटो साक्ष्य व जानकारी के आधार पर न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा के करकरडुमा न्यायालय ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। मामले में नियुक्तलोकल कमिश्नर अभिषेक कुमार की मौजूदगी में महेश्वर रोड अग्रसेन भवन के सामने की एक व्यवसायी की दुकान कृष्णा मशीनरी से 300 लीटर क्षमता की दो टंकियां जब्त की। आवेदक कंपनी के एरिया मैनेजर श्रवण श्रीवास्तव व उनके अधिवक्ता अंकुर तिवारी द्वारा बड़वाह पुलिस थाने में न्यायालय के आदेश के आधार पर कार्रवाई की सूचना दी गई। कार्रवाई में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल साथ भेजा गया। संबंधित दुकान पर आकर उन्होंने अपने साथ लाए न्यायालय के नोटिस व अन्य दस्तावेज दुकानदार को दिए।

आवेदक आरसी प्लास्टो कंपनी से जुड़े एरिया सर्च मैनेजर, श्रीवास्तव, अंकुर तिवारी व अभिषेक ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर नागपुर सहित अनेक जगह पर कापीराइट अधिनियम के प्रावधानों में उल्लंघन के मामले में कंपनी के आवेदन पर न्यायालय के आदेश तय शुदा तारीख पर तयशुदा स्थानों पर यह कार्रवाईयां की जा रही है। दोनों ही कंपनियों की टंकियों पर उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे ब्रांड नेम में अंग्रेजी भाषा के पहले अक्षर 'पी' की लिखावट एक जैसी होने से रजिस्टर्ड ब्रांड नेम वाली कंपनी के ब्रांडवेल्यु-अधिकार व लाभ का हनन हुआ है। उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की अन्य के द्वारा कापी होने के पुख्ता सबूत के साथ न्यायालय में दर्ज प्रकरण में यह कार्रवाई की गई है। संबंधित दुकानदार को अगले महीने अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।

नवभारत | नागपुर, 24 सितंबर 2021

लोगो और नाम का हो रहा था दुरुपयोग

प्लास्टो के नाम पर टैंक बेचने वाली दूसरी कंपनी पर कार्रवाई

■ बूटीबोरी, संवाददाता. आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधि. विश्वजीत अहिरवार और आईपीआर एडवाइजर विजय सोनी, नम्रता जैन, प्रतीक केशरी द्वारा नकल कर रही टैंक की कंपनी पर गुरुवार को कार्रवाई की गई. कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि नागपुर की एक कंपनी में पोलो के नाम से टैंक बेचे जा रहे है जो कि हूबहू प्लास्टो की तरह लिखा जाता है. कंपनी आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उपयोग कर पोलो के नाम से प्लास्टिक टैंक मार्केट में बेचे जा रहे है. इसके बाद आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लि. द्वारा दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किया गया. दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर ए.के. राजगोपाल ने कंपनी के परिसर में पहुंचकर कार्रवाई कर टैंक जब्त किया. कार्रवाई में पाया गया कि वहां पर आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लि. का रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उपयोग कर पोलो नाम से टैंक बेचा जा रहा है जिसमें लोकल कमिश्नर द्वारा माल सील किया गया. बताया गया कि इस कार्रवाई में पुलिस का कोई भी सहयोग नहीं मिला.

प्लास्टो : नकली टंकी कम्पनी पर बड़ी कार्रवाई

■ नागपुर, व्यापार संवाददाता. आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार और आईपीआर एडवाइजर विजय सोनी, नम्रता जैन, प्रतीक केशरी द्वारा नकल कर रही टैंक कम्पनी पर बड़ी कार्रवाई की गई. कम्पनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि नागपुर की एक कम्पनी में पोलो नाम से टैंक बेचे जा रहे हैं, जिस पर हू-ब-हू प्लास्टो की तरह लिखा जाता है. कम्पनी आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्रा.लि. के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उपयोग कर पोलो के नाम से प्लास्टिक टैंक मार्केट में बेच रही है. पश्चात आरसी प्लास्टो कम्पनी द्वारा दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर एके राजगोपाल ने लोकल पुलिस के सहयोग से कम्पनी के परिसर में पहुंचकर कार्रवाई कर टैंक जब्त किए. कार्रवाई में कम्पनी द्वारा आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स का रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उपयोग कर पोलो नाम से टैंक बेचा जा रहा है. इसे देखते हुए लोकल कमिश्नर द्वारा सर्च एंड सीजर कर माल को सील कर दिया गया.

Our Raids

Punekar v/s Punekar Publications

नकली चार्ट बेचने वाले पब्लिकेशन पर छापा

इंदौर। कापी राइट एक्ट उल्लंघन के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद खजूरी बाजार स्थित पुणेकर पब्लिकेशन पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पांच लाख से ज्यादा का माल जब्त किया गया। महावीर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को शिकायत मिल रही थी कि खजूरी बाजार स्थित एक पब्लिशर द्वारा नकली चार्ट बेचा जा रहा है जो उसके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले सुपर फास्ट रिविज़न चार्ट की तरह दिखता है। महावीर पब्लिशर्स इस चार्ट को आनलाइन भी बेचता था। उन्होंने दिल्ली कोर्ट में पुणेकर के खिलाफ वाद दायर किया। कोर्ट द्वारा नियुक्त आयुक्त व स्थानीय पुलिस टीम ने शुक्रवार को पुणेकर पब्लिकेशन पर छापा मारा। इस दौरान नकली चार्ट जब्त किए गए। पुणेकर पब्लिकेशन के गोदाम व घर पर भी कार्रवाई की गई। तीन हजार नकली चार्ट बरामद किए गए।

Our Raids

Plasto vs Polo

नवभारत | नागपुर, 24 सितंबर 2021

लोगो और नाम का हो रहा था दुरुपयोग

प्लास्टो के नाम पर टैंक बेचने वाली दूसरी कंपनी पर कार्रवाई

■ बूटीबोरी, संवाददाता. आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइज़र नवकार एसोसिएट्स के अधि. विश्वजीत अहिरवार और आईपीआर एडवाइज़र विजय सोनी, नम्रता जैन, प्रतीक केशरी द्वारा नक़ल कर रही टैंक की कंपनी पर गुरुवार को कार्रवाई की गई. कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि नागपुर की एक कंपनी में पोलो के नाम से टैंक बेचे जा रहे है जो कि हूबहू प्लास्टो की तरह लिखा जाता है. कंपनी आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उपयोग कर पोलो के नाम से प्लास्टिक टैंक मार्केट में बेचे जा रहे है. इसके बाद आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लि. द्वारा दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किया गया. दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर ए.के. राजगोपाल ने कंपनी के परिसर में पहुंचकर कार्रवाई कर टैंक जब्त किया. कार्रवाई में पाया गया कि वहां पर आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लि. का रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उपयोग कर पोलो नाम से टैंक बेचा जा रहा है जिसमें लोकल कमिश्नर द्वारा माल सील किया गया. बताया गया कि इस कार्रवाई में पुलिस का कोई भी सहयोग नहीं मिला.

पुण्य नगरी

प्लास्टोच्या लोगो व डिझाइनची नक्कल करणाऱ्या कंपनीवर कारवाई

नागपूर : नागपुरातील एका कंपनीद्वारे प्रसिद्ध आर. सी. प्लास्टो टँक अॅण्ड पाइप्स प्रा. लि.च्या लोगो आणि डिझाइनची नक्कल करून 'पोलो' नावाने प्लास्टोसारख्या हुबेहूब दिसणाऱ्या टाक्यांची विक्री केली जात असल्याची बाब पुढे आली आहे. यासंदर्भातील तक्रार प्लास्टो कंपनीला मिळाली होती. या आधारावर प्लास्टो कंपनीचे विधी सल्लागार नवकार असोसिएट्सचे अॅड. विश्वजित अहिरवार आणि आयपीआर सल्लागार विजय सोनी, नम्रता जैन व प्रतीक केशरी यांच्या चमूकडून नक्कल करणाऱ्या कंपनीवर गुरुवारी मोठी कारवाई करण्यात आली. कारवाई करण्यात आलेली कंपनी प्लास्टोच्या रजिस्टर्ड व्यापारचिन्ह आणि रजिस्टर्ड स्टाइलचा वापर करून 'पोलो' नावाने बाजारात प्लास्टिकच्या टाक्यांची विक्री करीत होती. यासंबंधीची तक्रार प्राप्त होताच आर. सी. प्लास्टो टँक अॅण्ड पाइप्स प्रा. लि.च्या वतीने दिल्लीच्या न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले. दिल्ली न्यायालयाद्वारे नियुक्त स्थानिक कमिश्नर ए. के. राजगोपाल यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने नक्कल करणाऱ्या कंपनीच्या परिसरात पोहोचून कारवाई करीत संबंधित टाक्या जप्त करण्यात आल्या व तेथे सील लावण्यात आले.

Smart Nagpur
Page No 4 September 24, 2021

ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रमन निबीन खुद ही फर्जी प्रवेश-पत्र भेजा। जा रहा है।

'पोलो' के नाम से बेचे जा रहे थे 'प्लास्टो' के टैंक

कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई, प्रिंटिंग और स्क्रीनिंग मशीन सील

▪ जांच में पुष्टि के बाद कार्रवाई

व्यापार प्रतिनिधि | नागपुर

शहर में आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिह्न और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उपयोग कर स्थानीय कंपनी द्वारा 'पोलो' नाम से टैंक बेचा जा रहा था। कंपनी को बार-बार शिकायत मिल रही थी कि, शहर की एक

कंपनी में पोलो के नाम से टैंक बेचे जा रहे हैं, यह नाम हू-ब-हू प्लास्टो की तरह लिखा जा रहा था। जिसके बाद आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार और आईपीआर एडवाइजर विजय सोनी, नम्रता जैन, प्रतीक केशरी की ओर से दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालय में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित कंपनी पर कार्रवाई के आदेश दिए। कोर्ट ने कार्रवाई के लिए लोकल कमिश्नर के रूप में ए.के. राजगोपाल की नियुक्ति की। उन्होंने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंच कर कार्रवाई कर टैंक जब्त किए। जांच में आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिह्न और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उपयोग कर पोलो नाम से टैंक बेचे जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद सर्च एंड सीजर कर प्रिंटिंग और स्क्रीनिंग सील किया गया।

Our Raids

Kriti v/s Shri Kriti

श्रीकृति का तेल जब्त

आष्टा. दुकान पर कार्रवाई करते हुए।

टीम ने कन्नौद रोड स्थित जैन की दुकान पर पहुंचकर जांच पड़ताल की

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

आष्टा. शहर के कन्नौद रोड स्थित एक किराना दुकान पर बुधवार को अचानक टीम के कार्रवाई करने से अफरा तफरी मच गई। टीम ने दुकान से कृति की जगह श्रीकृति कंपनी के नाम से बेचे जा रहे तेल की कैन को जब्त किया है।

जानकारी के अनुसार कन्नौद रोड स्थित विनय कुमार सागरमल जैन की दुकान पर को कृति की जगह श्रीकृति के नाम से तेल रखा हुआ मिला, जिसे जब्त कर लिया है।दुकानदार के एडवोकेट सुरेंद्र कुमार परमार ने बताया कि खाद्य तेल बनाने वाली कृति कंपनी ने दिल्ली कोर्ट में ट्रेडमार्क, कॉपी राइट उल्लंघन का परिवाद पेश किया है। न्यायालय ने इसकी जांच करने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया है।

कंपनी टीम ने आष्टा में दुकान पर कार्रवाई की। इसमें दुकानदार की तरफसे टीम को पूरा सहयोग किया है। परमार ने बताया कि दुकानदार की तरफ से टीम को जिस कंपनी से तेल खरीदा उसके बिल उपलब्ध कर माल को जब्त करा दिया

Our Raids

Kriti v/s Shri Kriti

Our Raids

Kriti v/s Satyam kriti

Our Raids

Kashmiri kesar v/s Kashmiri kesar

ब्रांडेड कंपनी के बैग में सस्ते दाम का चाव

पुलिस ने की छापामार कार्रवा

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राजधानी में ब्रांडेड कंपनी के चावल के नाम के बैग में सस्ते दाम का चावल बेचने का भंडाफोड़ हुआ है। मंगलवार को शाहदरा कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर और कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदगी में माना थाना पुलिस ने देवपुरी में नरेंद्र खेतपाल के दो अलग-अलग गोदाम में छापामार कार्रवाई की। गोदाम में कश्मीरी केसर सुगंधित चावल के नाम के पैकिंग बैग से 100 टन चावल बरामद किया गया। इसके अलावा हजारों की संख्या में प्लास्टिक के खाली बारदाने मिले हैं। कोर्ट के आदेश पर इस पूरे माल को सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सप्लाई: कोर्ट के आदेश पर पूरा माल सीज कर दिया गया है। जांच में पाया कि 62 रुपये किलो में बिकने वाले चावल की बोरी में 25 रुपये वाला चावल भरकर बेचा जा रहा है। इसकी सप्लाई छत्तीसगढ़ और ओडिशा में की जा रही है। लो शुगर कश्मीरी केसर एचएमटी चावल का बड़ा मार्केट राजधानी में है।

देवपुरी में कंपनी के कर्मचारी और पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। ● नईदुनिया

तीन साल पहले धमतरी में कार्रवाई : तीन साल पहले धमतरी

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

नवभारत छत्तीसगढ़ • ओडिशा Rajdhani - 29 Dec 2021 - 29raj4

सौ टन चावल जब्त, कश्मीरी केसर व लोकल चावल के हजारों बोरदाना जब्त | 50-55 रुपए किलो में बिकने वाले चावल में मिलता था 15-20 रुपए वाला चावल | लगातार शिकायत के बाद कोर्ट कमिश्नर व पुलिस की मौजूदगी में की गई कार्रवाई | एक ही व्यापारी के देवपुरी व डुमरतराई के गोदाम में पड़ा छापा

कश्मीरी केसर में लोकल चावल मिला बिक्री, छापा

■ नवभारत रिपोर्टर | रायपुर.
www.navabharat.news

रायपुर में बड़े स्तर पर सस्ते चावल और दोयम दर्जे के चावल को ब्रॉंडेड कंपनी के बैग में भरकर बेचने का मामला सामने आया है. 50 से 55 रुपए किलो में बिकने वाले कश्मीरी केसर चावल में 15 से 20 रुपए वाला चालव मिलाकर व्यवसायी द्वारा बेचा जा रहा था. मंगलवार को टिकरापारा क्षेत्र के देवपुरी व डुमरतराई में करीब सौ टन चावल पुलिस ने जब्त किया है. वहीं हजारों की संख्या में कश्मीरी केसर व लोकल चावल के बारदाने जब्त किए गए हैं. दिल्ली के शाहदरा कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर और कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदगी में यह छापामार कार्रवाई नरेंद्र खेतपाल के गोदाम में की गई. देवपुरी के गोदाम में कश्मीरी केसर नाम के पैकिंग बैग में 50 टन चावल बरामद किया गया. यहां हजारों की संख्या में प्लास्टिक के खाली बारदाने बरामद किए गए. यहां डुमरतराई में भी चावल की शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने देर शाम वहां भी कार्रवाई की. यहां देर शाम तक 35 सौ बोरा चावल जब्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ व ओडिशा में अधिक मांग- कश्मीरी केसर चावल की डिमांड छत्तीसगढ़ व ओडिशा में अधिक है. इस चावल का अधिक उपयोग यहां के लोग करते हैं. ऐसे में बीते कुछ महीनों से लगातार इसके खराब क्वालिटी के आने की शिकायत मिल रही थी. इसकी शिकायत लोगों ने कंपनी में की. इसके बाद कंपनी ने कोर्ट में इसकी याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके कार्रवाई के लिए भेजा. कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में टिकरापारा पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

कश्मीरी केसर के बारे में कोई जानकारी नहीं

अधिकारियों ने बड़ी संख्या में बारदाने भी जब्त किए हैं. इस दौरान मिले कश्मीरी केसर के बारदाने में नाम, पता, तारीख सहित जरूरी चीजें नहीं लिखी हुई है. इसके अलावा लोकल चावल के बड़ी संख्या में बोरे मिले हैं. अधिकारी व्यवसायी से चावल के संबंध में और पूछताछ कर रहे हैं.

Our Raids

Kesari Sher Chap v/s Kesari Chaap

Our Raids

Nariyal Pani v/s Nariyal Pani

Our Raids

Plasto v/s Gauri Aqua Plast

दैनिक जागरण भोपाल, 22 जनवरी 2022

जागरण अर्थ

डुप्लीकेट टैंक व पाइप बनाने वाली कंपनी सील

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली न्यायालय के आदेशानुसार शिखर कुंदु, स्थानीय आयुक्त (दिल्ली कोर्ट) ने गणेश गौरी इंडस्ट्रीज (गौरी एक्वा प्लास्ट) के लिहिगांव, भंडारा रोड, नागपुर की फैक्ट्री में एक प्रतिष्ठित टैंक, पाइप और फिटिंग ब्रांड के नकली उत्पाद बनाने के मामले में 20 जनवरी को छापेमारी की। टीम, स्थानीय अधिकारियों के साथ, लगभग 11 बजे कंपनी के कारखाने में पहुंची और स्थानीय आयुक्त (दिल्ली अदालत) के अधिकारियों को परिसर में प्रवेश करने और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका गया साथ ही गौरी एक्वा प्लास्ट के स्टाफ ने कार्रवाई के लिए गई टीम के साथ बुरा व्यवहार किया। उसके बाद स्थानीय आयुक्त से उनके कर्तव्यों के बारे में पूछताछ की गई क्योंकि उन्हे केवल एक दिन के लिए कारवाई के अधिकार थे। गणेश गौरी इंडस्ट्रीज (गौरी एक्वा प्लास्ट) के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर स्थानीय कमिश्नर (दिल्ली कोर्ट) के आदेश से फैक्ट्री को शाम करीब 6 बजे सील कर दिया गया।

नवभारत

डुप्लीकेट टैंक बनाने वाली कंपनी सील

ब्रांड डुप्लीसिटी का मामला

■ **नागपुर**, व्यापार संवाददाता. दिल्ली न्यायालय के आदेशानुसार शिखर कुंदु, स्थानीय आयुक्त (दिल्ली कोर्ट) ने गणेश गौरी इंडस्ट्रीज (गौरी एक्वा प्लास्ट) के लिहिगांव, भंडारा रोड की फैक्ट्री में एक टैंक, पाइप और फिटिंग ब्रांड के नकली उत्पाद बनाने के मामले में छापेमारी की. टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ लगभग 11 बजे कंपनी के कारखाने में पहुंची. इस दौरान स्थानीय आयुक्त के अधिकारियों को परिसर में प्रवेश करने और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका गया. गौरी एक्वा प्लास्ट के स्टाफ ने कार्रवाई के लिए गई टीम के साथ बुरा व्यवहार भी किया.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई : गणेश गौरी इंडस्ट्रीज (गौरी एक्वा प्लास्ट) के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर स्थानीय कमिश्नर (दिल्ली कोर्ट) के आदेश पर फैक्ट्री को शाम करीब 6 बजे सील कर दिया गया. कारखाने का आकार बड़ा होने के कारण स्थानीय आयुक्त के लिए स्वयं इसका निरीक्षण करना असंभव था. उल्लेखनीय है कि बीआईएस ने 5 नवंबर, 2020 को नकली आईएसआई मार्क उत्पादों के लिए गौरी एक्वा प्लास्ट पर छापा मार कर कार्रवाई की थी.

Nagpur Edition
22-january-2022 Page No. 9
epaper.enavabharat.com

Our Raids

Plasto vs Tejas Plasto

नकली उत्पाद बना रही कंपनी पर कार्रवाई, 35 लाख का माल सील

ब्रांडेड कंपनी के लोगो का इस्तेमाल, दिल्ली से पहुंची टीम

उरकुरा स्थित प्लांट में कार्रवाई करती विजिलेंस की टीम। ● नईदुनिया

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राजधानी के उरकुरा क्षेत्र में स्थित एक प्लांट में प्लास्टो कंपनी की लीगल टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के नकली उत्पाद बरामद किए हैं। टीम ने करीब 35 लाख रुपये का माल सील किया है। दिल्ली की प्लास्टो कंपनी की

भनपुरी में हुई थी कार्रवाई

10 माह पहले भनपुरी इलाके में पानी की टंकी बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई थी। यहां एक नामी ब्रांडेड कंपनी का स्टीकर लगाकर घटिया क्वालिटी के वाटर टैंक बनाए जा रहे थे।

नवभारत Rajdhani - 15 Jun 2022 - 15raj1

35 लाख के नकली वॉटर टैंक जब्त

कार्रवाई

- उरकुरा प्लांट से ब्रांडेड कंपनी का माल सीज किया गया
- सस्ते दाम पर बेचा जा रहा था नकली उत्पाद
- तेजस प्लास्टो इंटरप्राइजेस में की गई कार्रवाई

■ नवभारत ब्यूरो । रायपुर.

ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगाकर नकली वॉटर टैंक बनाकर सस्ते में बेचने का मामला सामने आया है. इसे लेकर मंगलवार को उरकुरा क्षेत्र के एक प्लांट में प्लास्टो कंपनी की लीगल टीम ने छापा मारा. प्लांट में बड़ी संख्या में नकली प्रोडक्ट बरामद किए गए. सभी को सील कर दिया गया है. सील किए गए नकली प्रोडक्ट की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है.

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार छापामार कार्रवाई उरकुरा के तेजस प्लास्टो इंटरप्राइजेस में की गई है. प्लांट में लंबे समय से नकली प्रोडक्ट बनाया जा रहा था और कारोबारी द्वारा सस्ते दाम में बेचा जा रहा था. इसकी खबर दिल्ली की प्लास्टो कंपनी की विजिलेंस टीम को लगी. इसके आधार पर स्थानीय पुलिस के साथ विजिलेंस टीम प्लांट में पहुंची. पुलिस की मदद से लाखों का माल सीज कर दिया गया है. कार्रवाई की पुष्टि स्थानीय पुलिस ने की. उन्होंने बताया कि दिल्ली से टीम आई थी. उन्हीं के द्वारा कार्रवाई की गई.

पहले भी आ चुके हैं मामले

नकली वॉटर टैंक निर्माण के मामले पहले भी आ चुका है. ऐसे ही मामलों में भनपुरी की एक निर्माण इकाई के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. कारोबारी ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगाकर नकली उत्पाद सस्ते में बेच रहा था.

Our Raids

Plasto Vs DMK Plasto

Our Raids

Swadisht v/s Monit (Bagh)

Our Raids

Swadisht v/s Sadev (Jobat)

खबर सत्याग्रह digital EDITION

अधिकारों का आंदोलन

• इंदौर • 03 अगस्त 2022 — संपादक : रवि यादव, 9425903390 — khabarsatyagrah@gmail.com — Title Code : MPHIN37358

स्वादिष्ट के नाम लोगो और पैकिंग की कॉपी कर

मिलते जुलते नकली तेल की बाग में एक कंपनी पर बड़ी कार्यवाही

इन्दौर। दम्माणी ब्रदर्स के लीगल एडवाइज़र,नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, शुभम पाटीदार, कृष्णा तिवारी द्वारा नकल कर रही,धार जिले मे बाग,एवं अलीराजपुर जिले के जोबट मे,स्थानीय तेल व्यापारियों की कंपनी पर मंगलवार को,एक बड़ी कार्यवाही की गई।कंपनी को यह लगातार शिकायत मिल रही थी की, जोबट की एक कंपनी और डीलर्स के द्वारा सदैव ब्रांड के नाम से तेल बेचा जा रहा है, जो की हूबहू स्वादिष्ट की तरह दिखता है। कंपनी दम्माणी ब्रदर्स के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर सदैवब्रांड के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है।इसके बाद दम्माणी ब्रदर्स के द्वारा दिल्ली वाणिज्यीक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, शुभम पाटीदार, कृष्णा तिवारी द्वारा एक वाद दायर किया गया।

दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर शिखर कुंगडू ने लोकल पुलिस के सहयोग से,बाग एवं जोबट मे एक साथ,कंपनी के परिसर और डीलर्स के यहाँ पहुंच कर छापामारी कर,कार्यवाही कर तेल जब्त किया।लोकल कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया की यहा पर दम्माणी ब्रदर्स का रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन कर सदैव के नाम से तेल बेचा जा रहा है जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज़र कर माल सील किया गया। इस कार्यवाही से इस क्षेत्र मे डुप्लीकेसी करनेवाले व्यापारियों मे हड़कंप मच गया।कंपनी ने जप्ती सामान कंटेनरों मे भरकर ले जाया गया।

जोबट मे सदैव नाम से तेल बेचनेवाले कारोबारियों के यहां छापा मारा।

बाग में भी की गई जप्ती कार्यवाही।

Our Raids

Swadisht v/s Sadev (Jobat)

बाग की एक कंपनी पर बड़ी कार्यवाही

स्वादिष्ट के नाम लोगो और पैकिंग की मिलती जुलती कॉपी कर बेच रहा था नकली तेल

इन्दौर । नगर प्रतिनिधि

दम्माणी ब्रदर्स के लीगल एडवाइज़र, नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, शुभम पाटीदार, कृष्णा तिवारी द्वारा नकल कर रही, धार जिले में बाग एवं अलीराजपुर जिले के जोबट में स्थानीय तेल व्यापारियों की कंपनी पर मंगलवार को एक बड़ी कार्यवाही की गई। कंपनी को यह लगातार शिकायत मिल रही थी की।

जोबट की एक कंपनी और डीलर्स के द्वारा सदैव ब्रांड के नाम से तेल बेचा जा रहा है, जो की हूबहू स्वादिष्ट की तरह दिखता है। कंपनी दम्माणी ब्रदर्स के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर सदैव ब्रांड के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके बाद दम्माणी ब्रदर्स के द्वारा दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में नवकार

एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, शुभम पाटीदार, कृष्णा तिवारी द्वारा एक वाद दायर किया गया।

दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर शिखर कुंगढ़ ने लोकल पुलिस के सहयोग से बाग एवं जोबट में एक साथ, कंपनी के परिसर और डीलर्स के यहाँ पहुंच कर छापामारी कर कार्यवाही कर तेल जब्त किया। लोकल कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया की वहां पर दम्माणी ब्रदर्स का रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन कर सदैव के नाम से तेल बेचा जा रहा है जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज़र कर माल सील किया गया।

इस कार्यवाही से इस क्षेत्र में डुप्लीकेसी करनेवाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कंपनी ने जप्ती सामान कंटेनरों में भरकर ले जाया गया।

अपनीदुनिया-इन्दौर।

6 इंदौर, 04 अगस्त 2022

स्वादिष्ट खाद्य तेल के नाम,लोगो और पैकिंग की कापी कर, मिलते जुलते नकली खाद्य तेल के बाग व जोबट मे कारखानों पर बड़ी कार्यवाही

धार। ब्रदर्स के लीगल एडवाइजर,नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, शुभम पाटीदार, कृष्णा तिवारी द्वारा नकल कर रही,धार जिले मे बाग,एवं अलीराजपुर जिले के जोबट मे,स्थानीय तेल व्यापारियों की कंपनी पर मंगलवार को,एक बड़ी कार्यवाही की गई।कंपनी को यह लगातार शिकायत मिल रही थी की, जोबट की एक कंपनी और डीलर्स के द्वारा सदैव ब्रांड के नाम से तेल बेचा जा रहा है, जो की हूबहू स्वादिष्ट की तरह दिखता है। कंपनी दम्माणी ब्रदर्स के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर सदैवब्रांड के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है।इसके बाद दम्माणी ब्रदर्स के द्वारा दिल्ली वाणिज्यीक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, शुभम पाटीदार, कृष्णा तिवारी द्वारा एक वाद दायर किया गया।

दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर शिखर कुंगढ़ ने लोकल पुलिस के सहयोग से,बाग एवं जोबट मे एक साथ,कंपनी के परिसर और डीलर्स के यहाँ पहुंच कर छापामारी कर,कार्यवाही कर तेल जब्त किया।लोकल कमिश्नर की कार्यवाही मे पाया गया की वहा पर दम्माणी ब्रदर्स का रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन कर सदैव के नाम से तेल बेचा जा रहा है जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज़र कर माल सील किया गया। इस कार्यवाही से इस क्षेत्र मे डुप्लीकेसी करनेवाले व्यापारियों मे हड़कंप मच गया।कंपनी ने जप्ती सामान कंटेनरों मे भरकर ले जाया गया।

Our Raids

Rahul v/s Rohul (Tikamgarh)

बजाज इलेक्ट्रीकल दुकान पर दिल्ली से आई टीम ने मारा छापा

टीकमगढ़। कोतवाली के पीछे प्रधानपुरा मोहल्ला स्थित बजाज इलेक्ट्रीकल दुकान पर दिल्ली से आई राहुल कृषि पाइप कंपनी ने छापामार कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद रहा। छापामार कार्यवाही में दुकान से रोहिल कपनी एवं केबीसी के नकली कृषि पाइप के बडल बरामद किए है। लंबे समय से टीकमगढ़ कोतवाली के पीछे ठगन की गली में स्थित बजाज इलेक्ट्रिकल दुकान मे राहुल कंपनी के नकली कृषि पाइप बेचने का कारोबार चल रहा था। शिकायत पर बुधवार की दोपहर दिल्ली से आई टीम ने पुलिस के सहयोग मे राहुल कृषि पाइप कंपनी ने नकली पाइप बेचने वाले विक्रेता की दुकान पर छापामार कार्यवाही की। दुकान से कपनी एवं केबीसी के नकली कृषि पाइप के बंडल बरामद किए। पुलिस ने नकली पाइप विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की है।

कंपनी के नाम पर नकली पाइप की हो रही थी बिक्री, दिल्ली की टीम व पुलिस ने जब्त किए

भास्कर संवाददाता| टीकमगढ़

टीकमगढ़| पुलिस के साथ दुकानों का टीम ने किया भ्रमण।

शहर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर कंपनी के नाम पर नकली पाइप (खेतों में डालने वाले लपेटा पाइप) को बेचने का काम किया जा रहा था। जिसकी शिकायत होने पर कंपनी द्वारा दिल्ली से भेजी गई टीम ने पुलिस के साथ दुकान पर जाकर जांच की। जहां से नकली पाइप जब्त किए गए। टीम ने कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार और देहात थाना प्रभारी नसीर फारूकी के साथ नगर में भ्रमण किया। जिस पर बजाज इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर टीम ने जांच की। जहां राहुल पाइप के नाम की जगह रोहुल पाइप को बेचा जा रहा था। जिसकी शिकायत कंपनी में पहुंची थी। जांच टीम ने दुकान और गोदाम पर पहुंचकर सामग्री की जांच की। जिस पर इस कंपनी के नाम के नकली सामान मिले। टीम ने पाइप के तीन बंडल जब्त किए।

टीकमगढ़–निवाड़ी

पेट्रोल 108.08 डीजल 91.63 रुपये प्रति लीटर

इंदौर उच्च न्यायालय के आदेश पर अधिवक्ताओं की टीम ने की छापामार कार्रवाई, मचा हड़कंप

दुकानदारों पर कार्रवाई • कोतवाली तथा देहात थाना पुलिस रही मौके पर मौजूद

दुकानदारों में मचा हड़कम्प

पुलिस बल रहा मौजूद

टीकमगढ़ बाजार में नकली कृषि पाइप विक्रय दुकान पर हुई छापा मार कार्यवाही

समीक्षा सागर टीकमगढ़।

टीकमगढ़ बाजार में पुलिस कोतवाली के पीछे ठगन की गली में स्थित बजाज इलेक्ट्रिकल दुकान में रोहुल कंपनी के नकली कृषि पाइप बेचने का कारोबार चल रहा था। जिस पर राहुल कृषि पाइप कंपनी ने छापामार कार्यवाही की है और नकली माल बरामद किया है। शिकायत पर बुधवार की दोपहर दिल्ली से आई राहुल कंपनी की टीम ने पुलिस के सहयोग से रोहुल कृषि पाइप कंपनी ने नकली पाइप बेचने वाले विक्रेता की दुकान पर छापामार कार्यवाही की एवं दुकान से रोहिल कंपनी एवं केबीसी के नकली कृषि पाइप के बंडल बरामद किए एवं नकली पाइप विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की गई। तो वहीं बजाज इलेक्ट्रिकल्स वायर कंपनी के विक्रेता वीरेंद्र कुमार जैन का कहना है कि राहुल कंपनी बरसों से डिफाल्टर चल रही है इसके बाद भी कंपनी की टीम दुकानों में इस प्रकार की सर्चिंग कर रही है यह गलत है और राहुल कंपनी के प्रोवाइडर टीकमगढ़ जिले में व्यापक पैमाने पर नकली माल विक्रय कर रहे हैं उन उन सभी दुकानों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए उनका कहना है हमारे यहां इस प्रकार का कोई नकली प्रोडक्ट नहीं पाया गया।

Our Raids

Plasto vs Navnath pipes (Aurangabad Maharashtra)

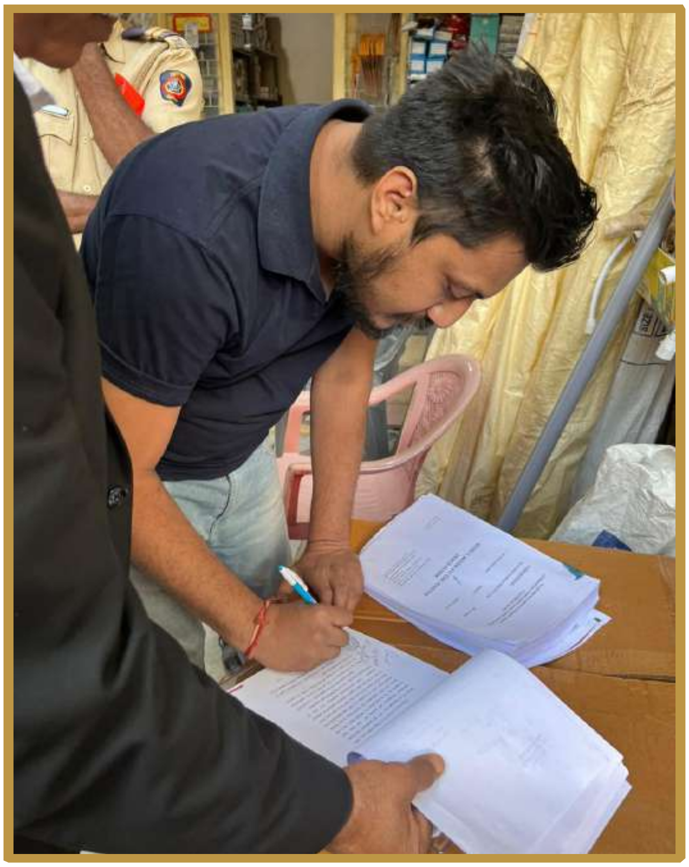

Our Raids

Kisan vs Shri Balaji polypipes (Banmore, Moorena) MP

मुरैना में पकड़ी गई नकली पाइप बनाने की फैक्ट्री, दो करोड़ के माल समेत फैक्ट्री सील

मुरैना (नप्र)। बानमोर के इंडस्ट्री एरिया में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली पाइप बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें दो करोड़ रुपये कीमत के पाइप मिले हैं। शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट द्वारा भेजे गए अफसर और किसान कंपनी की लीगल टीम ने बानमोर पुलिस के साथ मिलकर फैक्ट्री पर छापा मारा। लगभग दो करोड़ के माल के साथ इसे सील कर दिया है। फैक्ट्री साल 2016 से चल रही थी और हर साल करोड़ों रुपये के नकली पाइप खपाती थी।

मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र से किसान पाइप कंपनी के पास लगातार हल्की क्वालिटी के पाइप के फूटने या चटकने की शिकायतें आ रही थीं। कंपनी ने तीन माह से ग्वालियर-चंबल अंचल में बिकने वाले पाइपों की पड़ताल कराई तो पता लगा कि बानमोर में किसान ब्रांड से नकली पाइप बनाने वाली फैक्ट्री संचालित की जा रही है। कंपनी ने मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट में प्रस्तुत किया। वहां से नियुक्त लोकल कमिश्नर बृजेश ओबेराय के साथ शनिवार की दोपहर किसान इरीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की वकील नम्रता जैन, विजय सोनी, शुभम पाटीदार, कृष्णा

भागे संचालक

दिल्ली की साकेत कोर्ट के आदेश के बाद किसान कंपनी की लीगल टीम ने बानमोर में मारा छापा

मुरैना में किसान कंपनी के नकली पाइपों को सीज करते हुए वकीलों की टीम। ● नईदुनिया

तिवारी एसपी आशुतोष बागरी के पास पहुंचे। बानमोर पुलिस को साथ लेकर बानमोर इंडस्ट्री एरिया में सी-आठ ब्लाक में संचालित श्री बालाजी पालीपाइप्स एंड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां पाइप बनाने की मशीनों के अलावा दो करोड़ कीमत के पाइप मिले। किसान कंपनी के दो ब्रांड 'किसान चैंपियन एवं किसान शक्ति' के अलावा किसान ऐरो, किसान अल्ट्रा नाम के भी नकली पाइप बनाने का मामला सामने आया। फैक्ट्री के संचालक राकेश जिंदल, मनीषा जिंदल, मनोज जिंदल और महेश चंद गोयल बताए गए हैं। कंपनी ने आफिस का गलत पता ग्वालियर की शिवनगर कालोनी की गली नंबर पांच दे रखा था। कार्रवाई के लिए प्रकरण को साकेत कोर्ट में रखा जाएगा।

दिल्ली की टीम ने दो करोड़ का नकली किसान पाइप पकड़ा

पीपुल्स संवाददाता ● ग्वालियर
मो.नं. 9644644430

किसान इरीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स ने बानमौर(मुरैना) में एक कंपनी द्वारा नकली पाइप बनाने वालों को शनिवार को पकड़ा है। जब्त माल की कीमत दो करोड़ आंकी है। नवकार एसोसियेट्स के लीगल एडवाइजर विजय सोनी ने बताया कि किसान चैंपियन और किसान शक्ति के नाम से पाइप बेचे जाने की सूचना मिली थी। जो की हूबहू किसान पाइप तरह दिखता है कंपनी किसान इरीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर किसान चैंपियन और किसान शक्ति के नाम से पाइप मार्केट में बेचा जा रहा है इसके बाद किसान इरीगेशन के द्वारा दिल्ली वाणिज्यीक न्यायालय में जब्त किया गया दो करोड़ का माल पेश किया जाएगा। लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंच कर एसोसियेट्स द्वारा कार्यवाही कर पाइप जब्त किया, लोकल कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया की वहा पर किसान के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उलंघन कर किसान पाइप के नाम पर बनाया जा रहा है। पकड़े गए पाइप को सील कर दिया गया है।

साकेत कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर ने गोदाम में भरे नकली पाइप देखे तो देखकर हैरान रहगए, इन सभी पर किसान कंपनी का नाम लिखा था।० ● नईदुनिया

बानमोर से सरकारी निर्माण कार्यों में भी सप्लाई होते थे नकली पाइप

मुरैना(नईदुनिया प्रतिनिधि)। बानमोर में पकड़ी गई फैक्ट्री हर साल करोड़ों रुपये के नकली पाइप खपाती थी। कई सरकारी निर्माण कार्यों में भी ठेकेदार इस फैक्ट्री से सस्ते दामों में किसान कंपनी के नाम से नकली पाइप खरीदते थे।

कंपनी तीन महीने से ग्वालियर-चंबल अंचल में बिकने वाले किसान ब्रांड के पाइपों की जांच कर रही थी, इसी जांच में बानमोर में किसान ब्रांड से नकली पाइप बनाने वाली फैक्ट्री की जानकारी लगी। किसान पाइप कंपनी ने यह मामला पूरे सबूतों के साथ दिल्ली के साकेत कोर्ट में रखा, दिल्ली कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई करने बृजेश ओबेराय को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया। बानमोर इंडस्ट्री एरिया में सी-8 ब्लाक में संचालित श्री बालाजी पालीपाइप्स एण्ड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री पर छापा मारा। जैसे ही टीम अंदर घुसी तो तीन जगहों पर रखी मशीनों पर नलों के पाइप से लेकर खेती की सिंचाई, भवन निर्माण में उपयोग होने वाले और बोरवैल में डाले जाने वाले पाइप बन रहे थे। फैक्ट्री के परिसर और गोदाम में भारी मात्रा में पाइप भरे मिले। कार्रवाई करने पहुंची टीम ने फैक्ट्री संचालक राकेश जिंदल और अन्य को सूचना दी, लेकिन पता लगा कि छापे की भनक लगते ही वह फैक्ट्री छोड़कर भाग गए। दिल्ली व इंदौर से आई टीमों ने पुलिस के सामने फैक्ट्री में चल रहा निर्माण कार्य रुकवाया, इसके बाद दिल्ली साकेत कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर की अगुआई में फैक्ट्री से लेकर वहां रखी सामग्री को सील कर दिया गया।

● कंपनी में तीन माह तक जांच के बाद सबूत दिल्ली की साकेत कोर्ट में रखे थे

दो ब्रांड की जानकारी थी, पर मिले चार प्रकार के: दिल्ली और इंदौर से कार्रवाई करने पहुंची टीम के पास जानकारी थी कि, बानमोर की श्री बालाजी पालीपाइप्स एण्ड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री में किसान कंपनी के दो ब्रांड 'किसान चैंपियन एवं किसान शक्ति' नाम से पाइप बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब छापा मारा तो पता चला, कि यहां बन रहे पाइपों की क्वालिटी इतनी हल्की थी कि उन्हें झुकाते ही चटक रहे थे। इतना ही नहीं जिस पाइप पर साढ़े 6 किलो वजन लिख रहा था उसमें ढाई किलो ही वजन था।

पते में भी फर्जी वाड़ा, हेड आफिस बताई वहां घर निकला : फैक्ट्री के आफिस के पते में भी ऐसी गफलत कर रखी थी, कि कोई भी उनके आफिस तक नहीं पहुंच सकता। दरअसल बालाजी पाइप एण्ड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की आफिस का पता ग्वालियर शहर की शिवनगर कालोनी की गली नंबर पांच में दे रखा था। इस पते पर किसान पाइप कंपनी की लीगल टीम पहुंची तो यहां एक घर मिला, जिसमें एक परिवार निवास करता था, इस पते पर पाइप कंपनी का कोई नामोनिशान नहीं था।

Our Raids

Makhan malai V/s Makhan malai

फैक्ट्री पर दबिश, हूबहू नाम से चॉकलेट बनाने का आरोप

रीको-4 फेज में रेपर व पैकिंग मटेरियल सीज

भीलवाड़ा @ पत्रिका. प्रतापनगर थाना पुलिस और कम्पनी प्रतिनिधियों ने सोमवार को औद्योगिक क्षेत्र रीको फॉर्थ फेज में चॉकलेट फैक्ट्री पर दबिश दी। इंदौर की कम्पनी की हूबहू नाम से चॉकलेट बनाकर बेचने की शिकायत पर कार्रवाई हुई। यहां पैकिंग मटेरियल, रेपर और अन्य सामान को सीज किया गया।

थानाप्रभारी राजेन्द्र गोदारा ने बताया कि मध्यप्रदेश के जय गृह उद्योग के संतोष सेवानी व दीपक देवानी को शिकायत मिली थी कि भीलवाड़ा में उनकी कम्पनी के नाम से हूबहू चॉकलेट बनाकर बेची जा रही है। फैक्ट्री संचालक रजिस्टर्ड व्यापार चिह्न और कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर माखन मलाई के नाम से चॉकलेट बेच रहा है। इसे लेकर कम्पनी प्रतिनिधि ने दिल्ली की वाणिज्यिक न्यायालय में वाद दायर किया था। फैक्ट्री में कार्रवाई के लिए दिल्ली कोर्ट ने तुषार कांटी को कमिश्नर नियुक्त किया।

कम्पनी प्रतिनिधि और लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी ने पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू को शिकायत की। एसपी ने कार्रवाई के लिए प्रतापनगर पुलिस को साथ भेजा। रीको फोर्थ फेज में देवनारायण फूड नामक फैक्ट्री पर दबिश दी। नियुक्त कमिश्नर ने पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री से रेपर, चॉकलेट, चॉकलेट भरने के लिए जार, केमिकल, अन्य सामान

भीलवाड़ा

सीज किया माल • दिल्ली के कोर्ट की ओर से नियुक्त लोकल कमिश्नर के नेतृत्व में टीम ने पुलिस के सहयोग से दी दबिश

इंदौर की कंपनी के प्रोडक्ट की नकल कर बना रहे थे चॉकलेट फैक्ट्री पर छापा मारा तो सड़ांध मार रहा था माल, कई रैपर मिले

मैले कट्टों में कच्ची सामग्री, जंग खाए बर्तन में तैयार करते हैं मटर

2023

RAIDS TO BE CONTINUED

Our Raids

SILVER COIN V/S SILVER COIN

नकली आटा बेचनेवालों पर हुई कार्रवाई

निसं, वसई: वसई विरार में एक ब्रैंडेड कंपनी के नाम से नकली आटा बेचे जाने की शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को वालीव पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चार कंपनियों के खिलाफ कॉपी राइट का मामला दर्ज किया है। इंदौर की संघवी फूड्स के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स को शिकायत मिली थी कि वसई पूर्व में कामन परिसर में डुप्लीकेट आटा बनानेवाली कंपनी है।

यह कंपनी रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपी राइट का उल्लंघन कर रही थी। अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, [redacted] और प्रतीक केशरी की शिकायत पर लीगल अडवाइजर कंपनी ने दिल्ली में केस दर्ज किया था। शुक्रवार शाम को पुलिस ने रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, आशापुरा सुपर बाजार, शिवशक्ति ट्रेडर्स व हिमालय सुपर बाजार पर छापा मारा ।

Our Raids

Kissan V/s Bihari Pipes, Modi Pipes, Mukund Pipes

मुरैना पत्रिका

अंबाह . पोरसा . सबलगढ़ . कैलारस . जौरा . बानमोर, सुमावली

आपके साथ चलेंगी खबरें

पत्रिका डिजिटल पर अपनी खबर का व्यापक कवरेज, वीडियो व फोटो देखने और अपनी राय रखने के लिए संबंधित लोगो के साथ दिए लिंक को मोबाइल पर टाइप करें...

दिल्ली से आई 15 लोगों की टीम ने की कार्रवाई, छापे में मिला लाखों का माल

मुरैना-बानमोर की फैक्टरी में बन रहे थे किसान ब्रांड के नकली पाइप

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुरैना. बॉम्बे की पीवीसी पाइप बनाने वाली किसान ब्रांड कंपनी के नकली पाइप बनाकर बेचने वाली दो फैक्टरियों पर शुक्रवार दोपहर दिल्ली से आई 15 से 20 लोगों की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। पहली फैक्टरी मुरैना के लश्करीपुरा में चल रही थी व दूसरा प्लांट औद्योगिक क्षेत्र बानमोर में बिहारी जी नाम से चल रहा था।

दोनों जगह से लाखों रुपए कीमत के पाइप मिले हैं, जिनके ऊपर ब्रांडेड कंपनी किसान सहित अन्य दूसरी कंपनियों का मार्का प्रिंट था।

जानकारी के अनुसार पीवीसी पाइप बनाने वाली बॉम्बे की कंपनी को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि मुरैना जिले में उनके ब्रांड व मार्का के नाम पर नकली पाइप बेचे जा रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर मोहित मलिक के नेतृत्व में 15 से 20 लोगों की टीम मुरैना आई। यहां टीम ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अवैध फैक्टरी पर छापा डालने के लिए लिखित परमिशन और पुलिस फोर्स मांगा। इसके बाद दो अलग-अलग टीमें बनाई गईं। पहली टीम लश्करीपुरा (डोमपुरा) स्थित गोदाम पर पहुंची और दूसरी टीम औद्योगिक क्षेत्र बानमोर में स्थित बिहारी जी पाइप फैक्टरी पर पहुंची।

बानमोर स्थित फैक्टरी में कार्रवाई करती टीम और पकड़े गए नकली पाइप।

करोड़ों का सेटअप, लाखों रुपए के नकली पाइप मिले

किसान ब्रांड कंपनी के मुरैना स्थित रिप्रिजेंटेटिव मनीष तिवारी ने बताया कि लश्करीपुरा स्थित फैक्टरी पर तीन मशीनों का सेटअप मिला। वहीं बानमोर में भी बड़े प्लांट पर लाखों रुपए कीमत के पीवीसी पाइप मिले हैं, जिन किसान सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों का मार्का प्रिंट था।

थाने में नहीं कराई एफआइआर, देर रात तक जारी रही कार्रवाई

नकली पाइप बनाने वाली फैक्टरियों पर छापामार कार्रवाई के बाद बानमोर स्थित प्लांट में काफी तादाद में पाइप मिले हैं, जिनकी देर रात तक छंटनी चल रही थी। इधर सिविल लाइन टीआई प्रवीण चौहान ने बताया कि अभी हमारे यहां कंपनी के प्रतिनिधि एफआइआर दर्ज कराने नहीं आए हैं। वहीं बानमोर टीआई का कहना है कि दिल्ली से आई टीम हमारे यहां फोर्स मांगने आए थे।

Our Raids

Astral V/s Astral

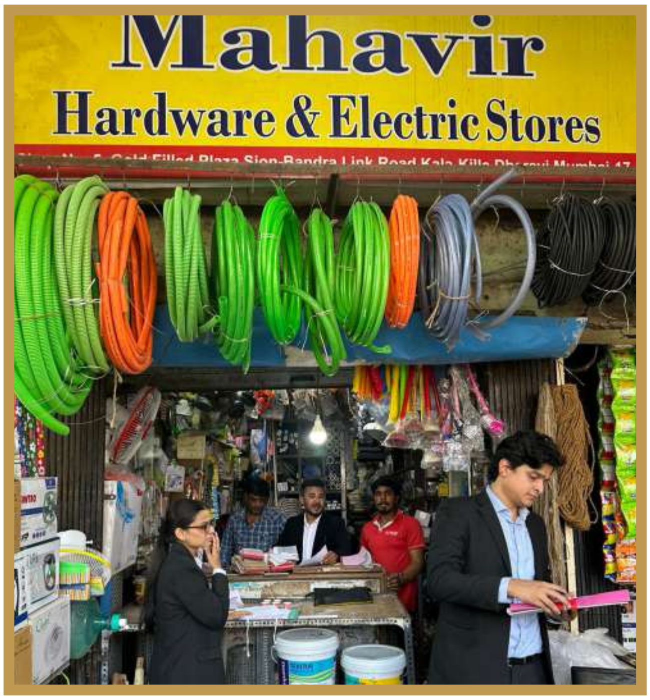

Our Raids

Kissan V/s Kissan Gold

शहर में सात दुकानों पर छापे, 12 लाख रुपए के पाइप जब्त

ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगा बेच रहे थे नकली पाइप

भरतपुर। किसान इरीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा नकल कर रहे पाइप के दुकानदारों पर सोमवार को बड़ी कार्यवाही की गई। शहर के 7 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख रुपए का माल जब्त किया है। कंपनी को शिकायत मिल रही थी कि भरतपुर के त्रिशूल ट्रेडिंग कंपनी, जगदम्बा पाइप स्टोर, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी, अग्रवाल बिल्डिंग मैटिरियल, कृष्णा आयरन स्टोर व बृजवासी पाइप एंड मशीनरी स्टोर के दुकानदारों के द्वारा किसान कंपनी के नाम से पाइप बेचे जा रहे हैं, जो की हूबहू किसान की तरह दिखता है।

Our Raids

Swadist V/s Swadist Gold

www.naidunia.com

ब्रांडेड कंपनी के नाम पर कर रहे थे नकली पैकिंग, मारा छापा

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ब्रांडेड कंपनी का नाम उपयोग कर नकली माल का उत्पादन बड़ी मात्रा करने की सूचना पर गुरुवार को कल्याण मिल (केटीसी फूड) के गोदम में क्षिप्रा थाना पुलिस एवं कंपनी के लीगल एडवाइजर टीम ने संयुक्त छापा मारा। वहां कंपनी के नाम का गलत उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में आटा तैयार किया जा रहा था।

पुलिस ने पीरकराड़िया (क्षिप्रा) स्थित मिल में दबिश देकर बड़ी मात्रा में कंपनी के नाम से भरे आटे के पैकेट समेत करीब 25 लाख रुपये का सामान बरामद कर सील किया। पुलिस ने यह कार्रवाई फरियादी तरुण दम्माणी की सूचना पर की। दम्माणी ब्रदर्स की अधिवक्ता नम्रता जैन ने बताया कि कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इंदौर-देवास की कंपनियां और दुकानदार स्वादिष्ट गोल्ड के नाम से आटा बेच रहे हैं, जो हूबहू स्वादिष्ट की तरह दिखता है। कंपनी दम्माणी ब्रदर्स के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कापीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर स्वादिष्ट गोल्ड के नाम से आटा बाजार में बेचा जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं के भरोसेमंद उत्पाद की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था।

दम्माणी ब्रदर्स ने दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में वाद दायर किया। दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर सीमा तिवारी ने क्षिप्रा पुलिस के साथ संयुक्त छापा मारकर माल जब्त किया। इसके पूर्व इंदौर, देवास और धार जिले में भी छापामार कार्रवाई कर नकली कंपनियों को सील करवाया गया है। क्षिप्रा थाना पुलिस ने बताया कि केटीसी फूड कंपनी के मालिक के खिलाफ धारा 420 एवं कापीराइट की धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

ब्रांडेड कंपनी के नाम पर कर रहे थे नकली पैकिंग

गोदाम में कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी। • सौ. पुलिस

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ब्रांडेड कंपनी का नाम उपयोग कर नकली माल का उत्पादन बड़ी मात्रा करने की सूचना पर गुरुवार को कल्याण मिल (केटीसी फूड) के गोदाम में क्षिप्रा थाना पुलिस एवं कंपनी के लीगल एडवाइजर टीम ने संयुक्त छापा मारा। वहां कंपनी के नाम का गलत उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में आटा तैयार किया जा रहा था।

पुलिस ने पीरकराड़िया (क्षिप्रा) स्थित मिल में दबिश देकर बड़ी मात्रा में कंपनी के नाम से भरे आटे के पैकेट समेत करीब 25 लाख रुपये का सामान बरामद कर सील किया। पुलिस ने कार्रवाई फरियादी तरुण दम्माणी की सूचना पर की। दम्माणी ब्रदर्स की अधिवक्ता नम्रता जैन ने बताया कि कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इंदौर-देवास की कंपनियां और दुकानदार स्वादिष्ट गोल्ड के नाम से आटा बेच रहे हैं, जो हूबहू स्वादिष्ट की तरह दिखता है। कंपनी दम्माणी ब्रदर्स के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह व रजिस्टर्ड कापीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर स्वादिष्ट गोल्ड के नाम से आटा बाजार में बेचा जा रहा है।

Our Raids

Moldteck vs Plastcraft

रजिस्टर्ड पेटेंट की कापी कर बाल्टी बेचने वाली कंपनी पर कार्रवाई

माल के साथ टीम। इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने कार्रवाई की। • नईदुनिया

शिप्रा (नईदुनिया न्यूज)। ब्रांडेड कंपनी माल्डटेक के नाम का उपयोग कर नकल कर रही बाल्टी की कंपनी पर मंगलवार को कंपनी के लीगल एडवाइजर और इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने छापा मारकर करोड़ों का माल जब्त किया।

माल्डटेक कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इंदौर की कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड पेटेंट की कापी कर बाल्टी कंपनियों को दी जा रही है, जो हूबहू माल्डटेक की बाल्टियों की तरह दिखती है। कंपनी माल्डटेक लिमिटेड के रजिस्टर्ड पेटेंट का गलत उपयोग कर प्लास्ट्क्राफ्ट के नाम से बाल्टी मार्केट में बेची जा रही है। इसके बाद माल्डटेक लिमिटेड ने दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्णमणि तिवारी ने वाद दायर किया।

मंगलवार को कंपनी के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स द्वारा नकल कर रही बाल्टी की कंपनी पर छापा मारकर करोड़ों का माल जब्त कर लिया। कमिश्नर शिवम गोयल ने पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंचकर छापामार कार्यवाही की और बाल्टी व मोल्ड जब्त किया। कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया कि वहां माल्डटेक लिमिटेड के रजिस्टर्ड पेटेंट उलंघन कर प्लास्ट्क्राफ्ट नाम से बाल्टी बेची जा रही है। इसे सर्च कर सीज किया।

Our Raids

Shakti Leno vs Super Shakti leno **Indore**

शक्ति लीनो के नाम पर बन रहे थे नकली बेग, एक साथ आठ जगहों पर कार्यवाही

Editor@Kshiprakhabar September 5, 2023

क्राइम

क्षिप्राखबर @ इंदौर। शक्ति लीनो के नाम का कॉपी कर नकली लीनो बेग बनाने वाली कम्पनियों और बेग बेचने वाले दुकानदारों पर एक ही दिन आठ जगहों पर बड़ी कार्यवाही की गई। ग्राहकों द्वारा मिल रही शिकायतों के बाद प्लास्टिका इंडस्ट्रीज के लीगल एडवाइज़र एवं नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता द्वारा लोकल पुलिस की मदद से नकली बेग जब्त कर मॉल को सील कर दिया

Our Raids

2.2 Shakti leno vs Super Shakti leno, **Shajapur**

शक्ति लीनो के नाम पर बन रहे थे नकली बेग, एक साथ आठ जगहों पर कार्यवाही

Editor@Kshiprakhabar September 5, 2023

क्राइम

क्षिप्राखबर @ इंदौर। शक्ति लीनो के नाम का कॉपी कर नकली लीनो बेग बनाने वाली कम्पनियों और बेग बेचने वाले दुकानदारों पर एक ही दिन आठ जगहों पर बड़ी कार्यवाही की गई। ग्राहकों द्वारा मिल रही शिकायतों के बाद प्लास्टिका इंडस्ट्रीज के लीगल एडवाइज़र एवं नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता द्वारा लोकल पुलिस की मदद से नकली बेग जब्त कर मॉल को सील कर दिया

Our Raids

2.2 Shakti leno vs Super Shakti leno, **Shajapur**

शक्ति लीनो के नाम की कॉपी कर नकली लीनो बेग बेचने वाली कंपनी और दुकानदारों पर 8 जगह एक सात बड़ी कार्यवाही

संवाददाता सुमित सेन

सारंगपुर प्लास्टिका इंडस्ट्रीज के लीगल एडवाइज़र नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्णमणि तिवारी द्वारा नक़ल कर रहे लीनो बेग की कंपनी और दुकानदारों पर सोमवार को बड़ी कार्यवाही की गई कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी की इंदौर की कंपनी और दुकानदारों के द्वारा शक्ति लीनो के नाम से लीनो बेग बेचा जा रहा है, जो की शक्ति लीनो की तरह ही दीखता है कंपनी प्लास्टिका इंडस्ट्रीज के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उलंघन कर शक्ति लीनो के नाम से लीनो बेग मार्केट मे बेचा जा रहा है इसके बाद प्लास्टिका इंडस्ट्रीज द्वारा दिल्ली वाणिज्यीक न्यायायलय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्णमणि तिवारी द्वारा वाद दायर किया गया दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नरो गौरव शर्मा, वैशाली खन्ना, मंजीत सिंह ने लोकल पुलिस के सहयोग इंदौर, शाजापुर, सारंगपुर, रतलाम, से कंपनी और दुकानदारों के परिसर में पहुंच कर कार्यवाही कर लीनो बेग जब्त किया, लोकल कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया की वहा पर प्लास्टिका इंडस्ट्रीज के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उलंघन कर शक्ति लीनो के नाम से लीनो बेग बेचा जा रहा है जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज़र कर मॉल सील किया गया

Our Raids

2.3 Shakti leno vs Super Shakti Leno, **Ratlam**

ट्रेडमॉर्क व कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर बारदान फर्म के खिलाफ कार्रवाई, बैग जब्त

दिल्ली कोर्ट से नियुक्त लोकल कमिश्नरों ने गिरीराज एंड कंपनी पर की कार्रवाई

भास्कर संवाददाता | रतलाम

ट्रेडमॉर्क और कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन करने पर दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नरों ने बारदान फर्म गिरिराज एंड कंपनी पर जांच कर 7 हजार से ज्यादा बारदान जब्त किए हैं। गिरिराज एंड कंपनी का शहर सहित इंदौर, मंदसौर में नेट वाले बारदान का बड़ा कारोबार है।

प्लास्टिका इंडस्ट्रीज को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इंदौर की कंपनी और दुकानदारों द्वारा शक्ति लीनो के नाम से लीनो बैग बेचे जा रहे हैं जो शक्ति लीनो की तरह ही दिखते हैं। इस पर प्लास्टिका इंडस्ट्रीज ने दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय की शरण ली। कोर्ट ने इसे रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन माना और कार्रवाई के लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त किए। लोकल कमिश्नर गौरव शर्मा, वैशाली खन्ना, मंजीतसिंह सोमवार को सैलाना बस स्टैंड स्थित

कार्रवाई करते दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर।

इंदौर, शाजापुर, सारंगपुर में 8 स्थानों पर कार्रवाई

अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्णमणि तिवारी ने बताया कि दिल्ली कोर्ट से नियुक्त कमिश्नरों ने रतलाम के साथ ही इंदौर, शाजापुर, सारंगपुर में कंपनी और दुकानदारों के परिसर में पहुंचकर कार्रवाई की और लीनो बैग जब्त किए। प्लास्टिका इंडस्ट्रीज के रजिस्टर्ड व्यापार चिह्न और रजिस्टर्ड कॉपीराइट ...

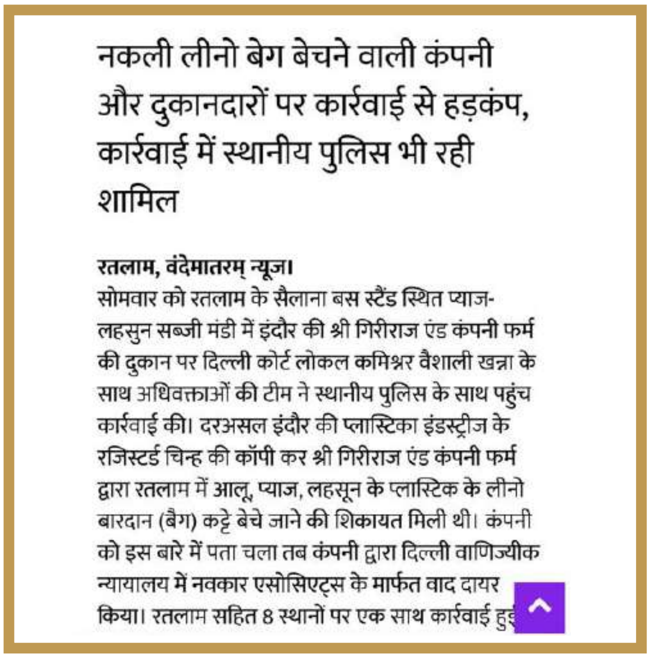

नकली लीनो बेग बेचने वाली कंपनी और दुकानदारों पर कार्रवाई से हड़कंप, कार्रवाई में स्थानीय पुलिस भी रही शामिल

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
सोमवार को रतलाम के सैलाना बस स्टैंड स्थित प्याज-लहसुन सब्जी मंडी में इंदौर की श्री गिरीराज एंड कंपनी फर्म की दुकान पर दिल्ली कोर्ट लोकल कमिश्नर वैशाली खन्ना के साथ अधिवक्ताओं की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ पहुंच कार्रवाई की। दरअसल इंदौर की प्लास्टिका इंडस्ट्रीज के रजिस्टर्ड चिन्ह की कॉपी कर श्री गिरीराज एंड कंपनी फर्म द्वारा रतलाम में आलू, प्याज, लहसून के प्लास्टिक के लीनो बारदान (बेग) कट्टे बेचे जाने की शिकायत मिली थी। कंपनी को इस बारे में पता चला तब कंपनी द्वारा दिल्ली वाणिज्यीक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के मार्फत वाद दायर किया। रतलाम सहित 8 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई हु...

Our Raids

Star Foods vs Mahalaxhmi food Product

ट्रेडमार्क की नकल कर ब्रेड व टोस्ट बेच रहे थे, माल सीज

उदयपुर| कंपनी के ट्रेडमार्क की नकल कर ब्रेड-टोस्ट बेचने वाली फर्म के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली से आई टीम ने कार्रवाई की। ब्रेड-टोस्ट समेत मशीनरी और अन्य माल सीज किया।

प्रकरण के अनुसार गुमानिया पुला स्थित मैसर्स. स्टार फूड प्रोडक्ट कंपनी ने मादड़ी स्थित महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट कंपनी के खिलाफ वाणिज्य कोर्ट में वर्ष 2016 में वाद दायर किया था। इसमें बताया कि वह स्टार ब्रेड बनाते हैं। महालक्ष्मी कंपनी उनका स्टार ट्रेडमार्क लगाकर ब्रेड-टोस की बिक्री कर रही है। ट्रेडमार्क के मामले में केस दिल्ली सेशन कोर्ट में पहुंचा। वहां कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त किया। जांच में सामने आया कि मैसर्स महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट स्टार फूड प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क चुराकर ब्रेड-टोस की बिक्री कर रही है। इस मामले में कोर्ट ने मैसर्स महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट का माल जब्त करने के आदेश दिए।

2024
RAIDS TO BE CONTINUED

Our Raids

Moldtek v/s Neway, Rajkot

શાપરમાં ડુપ્લિકેટ ડોલ બનાવતી ફેક્ટરી ઉપર દરોડો

દિલ્હની કંપનીની નકલી પ્રોડક્ટ બનાવતી હોવાથી ટીમ ત્રાટકી, ૩ કરોડનો માલ સીલ

તસવીર;મિલન મહેતા.શાપર

સવારે ચા, સાંજે

Date :- 12-01-2024

અકિલા

સોશ્યલ મીડિયા આવૃત્તિ

akilanews.com RAJKOT-SAURASHTRA-GUJARAT

શાપર-વેરાવળની નિવે પ્રા.લી.માં હૈદરાબાદની કંપનીના નકલી પ્લાસ્ટીક બકેટ બનાવતા'તા!!

રજીસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્કના ભંગ અંગે દિલ્હી કોર્ટના આદેશ બાદ મોલ્ડ ટ્રેક કંપનીના લીગલ એડવાઇઝર સાથે પોલીસના દરોડા : નકલી પ્રોડક્ટ સીલ કરવા તજવીજ

શાપર-વેરાવળની નિવે પ્રા.લી.માં ટ્રેડમાર્ક ધારા ભંગ બદલ દરોડા પડાયા હતા તે નજરે પડે છે. (તસ્વીરઃ કમલેશ વસાણી-શાપર-વેરાવળ)

આજી GIDCમાં અમૂલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સીલ કરતા પૂર્વ મામલતદાર ચાવડા : કુલ ૫૦ કરોડની મીલકત

કલ્યાણપુર તાલુકાના ભોપાલકા ગામે ઝેરી જુવાર ખાઇ જતા સાત પશુઓના મોત

કમલેશ વસાણી શાપર વેરાવળ રીપોટર

અકિલા 9824234178

શાપર-વેરાવળની નિવે પ્રા.લી.માં હૈદરાબાદની કંપનીના નકલી પ્લાસ્ટીક બકેટ બનાવતા'તા!!

રજીસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્કના ભંગ અંગે દિલ્હી કોર્ટના આદેશ બાદ મોલ્ડ ટ્રેક કંપનીના લીગલ એડવાઇઝર સાથે પોલીસના દરોડા : નકલી પ્રોડક્ટ સીલ કરવા તજવીજ

રાજકોટ, તા., ૧ ૨ઃ શાપર-વેરાવળમાં આવેલ નિવે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા. લી.માં હૈદરાબાદની કંપનીના રજીસ્ટર પેટન્ટની નકલ કરી પ્લાસ્ટીકના બકેટ બનાવાતા હોય ટ્રેડમાર્ક ધારા હેઠળ પોલીસે કંપનીના લીગલ એડવાઇઝર સાથે દરોડો પાડી નકલી ઉત્પાદિત વસ્તુઓ સીલ કરવા કાર્યવાહી કરી છે.

શાપર-વેરાવળની નિવે પ્રા.લી.માં ટ્રેડમાર્ક ધારા ભંગ બદલ દરોડા પડાયા હતા તે નજરે પડે છે. (તસ્વીરઃ કમલેશ વસાણી-શાપર-વેરાવળ)

શાપરની નીવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ પર નકલી તેલ અને ખાધ સામગ્રી પેક કરવા અંગે દરોડા

દિલ્હીની નવકાર એસોસિએટના વકિલ નમ્રતા જૈને શાપર પોલીસને સાથે રાખી દરોડા કાર્યવાહી કરાવી

Our Raids

Chameli match box V/s Chamoli (Tamil Nadu)

चमेली माचिस का नकली कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

इंदौर (दस्तक)। इंदौर स्थित चमेली माचिस के कानूनी सलाहकार नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ताओं नम्रता जैन और विजय सोनी ने शनिवार को तमिलनाडु में अवैध रूप से चलाई जा रही चमोली कंपनी और उसके निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चमेली माचिस जैसी दिखने वाली चमोली माचिस को चमोली के नाम से बेचा जा रहा था। यह कंपनी चमेली माचिस के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर रही थी। चमेली ने नवकर एसोसिएट्स के अधिवक्ताओं की मदद से दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। जिसके बाद दिल्ली न्यायालय द्वारा स्थानीय आयुक्तों नवीन झा, प्रशांत रावत और नीतेश गुप्ता की नियुक्ति की गई थी। स्थानीय पुलिस की मदद से कंपनी के परिसर में पहुंचने पर बड़ी संख्या में चमोली माचिस को जब्त किया गया। स्थानीय आयुक्त की कार्यवाही में पाया गया कि चमेली माचिस के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए चमोली के नाम से चमोली माचिस बेची जा रही थी। स्थानीय आयुक्त द्वारा तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के तहत सामानों को सील कर दिया गया है।

தின சங்கு

சத்தியமே சாத்தியம்

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சாமோலி என்னும் நிறுவனத்தின் பெயரை போலியாக பயன்படுத்திய நிறுவனர் மீது நடவடிக்கை

■ விருதுநகர். ஏப்.07-

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் சமேலி எனும் பெயரில் இயங்கி தீப்பெட்டி நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் லோகோவினை பயன்படுத்தி போலியாக தீப்பெட்டிகள் தயாரித்து வரும் நிறுவனம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி டெல்லி வணிக நீதி மன்றத்தில் சம்பந்தபட்ட நபர்கள் நவ்கர் அசோசியேட்ஸ் மூலம் வழக்கு தொடர்ந்ததின் பெயரில் டெல்லி வணிக நீதிமன்றம் உத்தரவின் பேரில் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் டவுன் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையில் நவ்கார் அசோசியேட்ஸ் வழக்கறிஞர்கள் நர்மதா ஜெயின்,விஜய் சோனி,கிருஷ்ணமணி திவாரி ஆகியோர் முன்னிலையில் சம்பந்தப்பட்ட கடைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட பொழுது போலியாக தீப்பெட்டி தயாரித்தது கண்டறியப் பட்டு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

மேலும் சம்பந்த பட்ட நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மற்றும் விற்பனை கடைகாரர்கள் மீது நடவடிக்கை மேற் கொள்ளப்பட்டது.

चमेली माचिस का नकली कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

इंदौर। इंदौर स्थित चमेली माचिस के कानूनी सलाहकार नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ताओं नम्रता जैन और विजय सोनी ने तमिलनाडु में अवैध रूप से चलाई जा रही चमोली क्रंपनी और उसके निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चमेली माचिस जैसी दिखने वाली चमोली माचिस को चमोली के नाम से बेचा जा रहा था।

यह कंपनी चमेली माचिस के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर रही थी। चमेली ने नवकर एसोसिएट्स के अधिवक्ताओं की मदद से दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया था।

जिसके बाद दिल्ली न्यायालय द्वारा स्थानीय आयुक्तों नवीन झा, प्रशांत रावत और नीतेश गुप्ता की नियुक्ति की गई थी। स्थानीय पुलिस की मदद से कंपनी के परिसर में पहुंचने पर बड़ी संख्या में चमोली माचिस को जब्त किया गया।

चमेली माचिस का नकली कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

इंदौर। इंदौर स्थित चमेली माचिस के कानूनी सलाहकार नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ताओं नम्रता जैन और विजय सोनी ने शनिवार को तमिलनाडु में अवैध रूप से चलाई जा रही चमोली कंपनी और उसके निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चमेली माचिस जैसी दिखने वाली चमोली माचिस को चमोली के नाम से बेचा जा रहा था। यह कंपनी चमेली माचिस के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर रही थी।

चमेली ने नवकर एसोसिएट्स के अधिवक्ताओं की मदद से दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। जिसके बाद दिल्ली न्यायालय द्वारा स्थानीय आयुक्तों नवीन झा, प्रशांत रावत और नीतेश गुप्ता की नियुक्ति की गई थी। स्थानीय पुलिस की मदद से कंपनी के परिसर में पहुंचने पर बड़ी संख्या में चमोली माचिस को जब्त किया गया। स्थानीय आयुक्त की कार्यवाही में पाया गया कि चमेली माचिस के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए चमोली के नाम से चमोली माचिस बेची जा रही थी। स्थानीय आयुक्त द्वारा तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के तहत सामानों को सील कर दिया गया है।

लिबर्टी मैच कंपनी की प्रसिद्ध ब्रांड चमेली माचिस नाम से मिलती जुलते फर्जी नाम चमोली माचिस का इस्तेमाल करने पर विरुद्धूनगर जिले में चमोली कंपनी के संस्थापक के खिलाफ कार्यवाही

विरुद्धूनगर तामिलनाडु – 7 अप्रैल 2024

लिबर्टी मैच कंपनी के द्वारा निर्मित ब्रांड चमेली माचिस जो कि लगभग पिछले 50 वर्षों से बेहतरीन गुणवत्ता व उत्तम क्वालिटी की माचिस निर्मित कर रही है, यह एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और पूरे भारत वर्ष के अनेक जिलों में उपलब्ध है। उसके नाम से मिलते जुलते कुछ फर्जी नाम से दूसरे माचिस निर्माता माचिस बना/बनवा रहे हैं और बेच रहे हैं। इस प्रक्रिया में चमेली माचिस (रजिस्टर्ड) का इस्तेमाल करने पर तमिलनाडु के विरुद्धूनगर जिले में चमोली माचिस के निर्माता एवं संस्थापक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई।

इस संबंध में दिनांक 6 अप्रैल 2024 को कानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के वकील श्रीमती नम्रता जैन, श्री विजय सोनी, श्री कृष्णमणि तिवारी द्वारा विरुद् धूनगर, सात्तूर टाउन (तामिलनाडु) पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) पर संबंधित फैक्ट्री और गोदाम पर दबिश (रेड) दी गई। निरीक्षण के दौरान नक़ली ब्रांड चमोली की निर्मित माचिस एवं काफी मात्रा में कच्चा माल, लेबल और पैकेजिंग आइटम जब्त (सीज़) किया गया।

संबंधित फैक्ट्री एवं जिस व्यापारी को उक्त नक़ली माल बेचा गया उस पर भी कठोर कानूनी कार्यवाही मथुरा, उत्तरप्रदेश से प्रारंभ की गई है, जो आगे भी सतत् जारी रहेगी एवं उन सभी को वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली में उपस्थित होने के लिए शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा। उक्त वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश (कोर्ड ऑर्डर) के जारी होते ही अब चमोली नाम की माचिस को खरीदना, स्टॉक में रखना, बेचना मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा एवं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

Our Raids

Mehta tea private limited VS Young ASR India private limited

चमकता भीलवाड़ा

सम्पादक :धर्मेन्द्र कोठारी मो.7597123456

website: www.chamakatabhilwara.com

डिजिटल एडिशन भीलवाड़ा 18 मार्ई 2024 R.N.I.NO.: RAJHIN/2022/82256

चाय पत्ती के गोदाम पर छापा, माल व मटेरियल सीज

मिलते झुलते नाम का ब्रांड मिला

भीलवाड़ा शहर में पुर रोड पर जिला उद्योग केंद्र के निकट एक चाय कंपनी के गोदाम पर अधिवक्ताओं की टीम पुलिस को साथ लेकर पहुंची, मामला नकली ब्रांड और ट्रेड मार्क से संबंधित बताया जा रहा है। इस संबंध में क़ानूनी फर्म ने प्रतापनगर थाना पुलिस के नेतृत्व में, वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) पर सम्बधित फैक्ट्री और गोदाम पर दबिश दी गई और लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज़र कर मॉल सील किया गया। निरीक्षण के दोरान नक़ली ब्रांड 1 चम्मच चाय का निर्मित पैकेजिंग मटेरियल, चाय पत्ती एवं काफ़ी मात्रा में कच्चा माल, लेबल और पैकेजिंग आइटम जप्त किया गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली की मेहता टी कंपनी ने कोर्ट में शिकायत कर बताया कि उनके नवकार ब्रांड की छोटा चम्मच और एक चम्मच चाय के उत्पाद के नाम से डुप्लीकेट ब्रांड और ट्रेड मार्क लगाकर बेचा जा रहा है। जिसपर शनिवार दोपहर बाद पुलिस और अधिवक्ताओं की टीम जिला उद्योग केंद्र के निकट स्थित स्थानीय चाय कंपनी के गोदाम पर कार्यवाही करने पहुंची। मेहता टी कंपनी के अधिवक्ता पारस जोशी ने बताया कि काफी समय तक स्थानीय गोदाम से संबंधित किसी के नहीं पहुंचने से ताले नहीं खुले लेकिन अब कार्यवाही शुरू हो चुकी है और मेहता टी कंपनी से जुड़े नकली ब्रांड का मॉल भी मिला है। दिल्ली की कंपनी से जुड़े लोगो ने बताया की मेहता टी कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी की भीलवाड़ा, राजस्थान की कंपनी और दुकानदारों के द्वारा 1 चम्मच चाय के नाम से चाय पत्ती एवं पैकेजिंग मटेरियल बेचा जा रहा है, जो की "छोटा चम्मच चाय" की तरह ही दीखता है । 1 चम्मच चाय के नाम से मिलते जुलते कुछ फर्जी नाम से दूसरे पैकेजिंग मटेरियल निर्माता पैकेजिंग मटेरियल बनवा रहे है और बेच रहे है। इस प्रक्रिया में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क "छोटा चम्मच चाय" और कॉपीराइट का गलत इस्तेमाल करने पर भीलवाड़ा में "1 चम्मच चाय" निर्माता एवं संस्थापक के खिलाफ क़ानूनी करवाई की गई।

Our Raids

Polymers Processors V/s Lorsan Engineers

पॉलीमर प्रोसेसर्स ब्रांड के नाम, लोगो से मिलती जुलती फर्जी सुपर पॉलीमर कंपनी पर छापा, अवैध उत्पाद जब्त

महानगर संवाददाता

उदयपुर। शहर की पॉलीमर प्रोसेसर्स कंपनी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ब्रांड पॉलीमर प्रोसेसर्स वायर सॉ रबर रिंग जो 30 वर्षों से उत्तम क्वालिटी की वायर सॉ रबर रिंग बना रहा है। यह रजिस्टर्ड ब्रांड होकर देश के अनेक जिले में उपलब्ध है। इसके नाम से मिलते जुलते फर्जी नाम से दूसरे वायर सॉ रबर रिंग निर्माता रबर रिंग बनाकर बेच रहे हैं। इस पर फर्जी सुपर पॉलीमर कंपनी पर छापामार कार्रवाई की गई है।

इस प्रक्रिया में पॉलीमर प्रोसेसर्स वायर सॉ रबर रिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का गलत इस्तेमाल करने पर वादी पॉलीमर प्रोसेसर्स की प्रोपराइटर प्रभा सिंघवी की ओर से वाणिज्यिक न्यायालय-2 नई दिल्ली में उदयपुर के कलड़वास इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित लोर्सन इंजीनियर्स के

प्रोपराइटर जोहरा बतूल की सुपर पॉलीमर वायरसॉ रबर रिंग उत्पाद के खिलाफ वाद दायर किया था। इस बारे में 9 मई को क़ानूनी फर्म नक्कार एसोसिएट्स की वकील नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा उदयपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में वाणिज्यिक न्यायालय दिल्ली के आदेश पर जोहरा बतूल की कलड़वास इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित लोर्सन इंजीनियर्स फैक्ट्री और गोदाम पर दबिश दी गई। निरीक्षण के दौरान नकली ब्रांड सुपर पॉलीमर निर्मित वायर सॉ रबर रिंग मटेरियल, बड़ी मात्रा में कच्चा माल, लेबल, पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई। वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश पर यह कानूनी कार्रवाई हुई। इस आदेश से अब सुपर पॉलीमर नाम से वायर सॉ रबर रिंग को ख़रीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा और उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी।

ट्रेडमार्क की नकल कर वायर सॉ रबर रिंग बेचे, कंपनी पर कार्रवाई

उदयपुर| कंपनी के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की नकल कर वायर सॉ रबर रिंग बेचने वाली कंपनी के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली से आई टीम ने कार्रवाई की। नकली ब्रांड का रबर रिंग, कच्चा माल व अन्य माल सीज किया।

पॉलीमर प्रोसेसर्स कंपनी का ब्रांड पॉलीमर प्रोसेसर्स पिछले 30 सालों से वायर सॉ रबर रिंग का निर्माण कर रहे हैं। इस ब्रांड का नाम, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की नकल कर कलड़वास, रीको में वायर सॉ रबर रिंग बनाकर बेची जा रही है। नाम का गलत उपयोग करने पर कंपनी ने दिल्ली के वाणिज्य कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया। वहां कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त किया और नकली ब्रांड सुपर पॉलीमर का माल जब्त करने के आदेश दिए। गुरुवार को कमीश्नर, वकील नम्रता जैन, विजय सोनी और हिरणमगरी जाब्ते साथ रीको स्थित गोदाम पर दबिश दी। जहां वायर सॉ रबर रिंग मटेरियल, कच्चा माल, लेबल और पैकेजिंग सामान को सीज किया गया।

Our Raids

Patanjali V/s Asha & Asha (Satna)

पतंजलि फ़ूड लिमिटेड फॉर्मली एस रूचि सोया कंपनी के प्रसिद्ध ब्रांड रूचि स्टार

विंध्य भारत, सतना

महाकोश के नाम और लोगो की कॉपी कर मिलता जुलता फर्जी नाम ऋषि स्टार और महाकासी का इस्तेमाल करने वाली सतना की आशा एंड आशा कंपनी और उसके संस्थापक के खिलाफ कारवाई पतंजलि फ़ूड लिमिटेड (फॉर्मली एस रूचि सोया) कंपनी के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ब्रांड -रूचि स्टार, महाकोश- रिफाइंड सोयाबीन आयल जो की लगभग पिछले 26 वर्षो से बेहतरीन गुणवत्ता व उत्तम क्वालिटी का रिफाइंड सोयाबीन आयल निर्मित कर रहा है, यह एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और पूरे भारत वर्ष के अनेक जिले में उपलब्ध है। उसके नाम से मिलते जुलते कुछ फर्जी नाम रिफाइंड सोयाबीन आयल

बनवा रहे है और बेच रहे है । इस प्रक्रिया में पतंजलि फूड लिमिटेड (फॉर्मली एस रूचि सोया) के (रजिस्टर्ड) ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का गलत इस्तेमाल करने पर सतना में आशा आशा ट्रेडर्स रिफाइंड सोयाबीन आयल के निर्माता एवं संस्थापक के खिलाफ कानूनी करवाई की गई। इस संबंध में दिनांक 19-जून -24, को कानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के वकील श्रीमती नम्रता जैन, श्री विजय सोनी द्वारा सतना (मध्य प्रदेश) पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) पर सम्बन्धित फैक्ट्री और गोदाम पर दबिश दी गई। निरीक्षण के दौरान नकली ब्रांड ऋषि स्टार और महाकाशी का रिफाइंड सोयाबीन आयल, एवं काफी मात्रा में कच्चा माल, लेबल और पैकेजिंग आइटम जप्त किया गया। उक्त वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) के जारी होते से अब ऋषि स्टार और महाकाशी नाम का रिफाइंड आयल को ख़रीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा एवं उसके खिलाफ़ क़ानूनी कारवाई की जावेगी।

देशबन्धु

Influencing Public Opinion Since 1959

20 Jun 2024 - Page 12

पतंजलि फूड लिमिटेड के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का गलत इस्तेमाल करने पर दी गई दबिश

सतना देशबन्धु। पतंजलि फूड लिमिटेड (फॉर्मली एस रूचि सोया) कंपनी के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ब्रांड 'रूचि स्टार, महाकोश' रिफाइंड सोयाबीन आयल जो की लगभग पिछले 26 वर्षों से बेहतरीन गुणवत्ता व उत्तम क्वालिटी का रिफाइंड सोयाबीन आयल निर्मित कर रहा है, यह एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और पूरे भारत वर्ष के अनेक जिले में उपलब्ध है। उसके नाम से मिलते जुलते कुछ फर्जी नाम रिफाइंड सोयाबीन आयल बनवा रहे है और बेच रहे है । इस प्रक्रिया में पतंजलि फूड लिमिटेड (फॉर्मली एस रूचि सोया) के (रजिस्टर्ड) ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का गलत इस्तेमाल करने पर सतना में आशा आशा ट्रेडर्स रिफाइंड सोयाबीन आयल के निर्माता एवं संस्थापक के खिलाफ क़ानूनी करवाई की गई।

इस संबंध में आज कानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के वकील श्रीमती नम्रता जै[illegible] विजय सोनी द्वारा सतना (मध्य प्रदेश) पुलि[illegible] स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, वाणिज्[illegible] न्यायालय, दिल्ली के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) [illegible] सम्बधित फैक्ट्री और गोदाम पर दबिश दी ग[illegible] निरीक्षण के दौरान नक़ली ब्रांड ऋषि स्टार अ[illegible] महाकाशी का रिफाइंड सोयाबीन आयल, ए[illegible] काफ़ी मात्रा में कच्चा माल, लेबल और पैकेजि[illegible] आइटम जप्त किया गया। उक्त वाणिज्[illegible] न्यायालय के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) के जारी हो[illegible] से अब ऋषि स्टार और महाकाशी नाम [illegible] रिफाइंड आयल को ख़रीदना, स्टॉक में रख[illegible] बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय [illegible] आदेश का उल्लंघन होगा एवं उसके खिलाफ़ कानू[illegible] कारवाई की जावेगी।

पत्रिका

सतना, गुरुवार, 20 जून 2024

वाणिज्यिक न्यायालय के निर्देश पर कानूनी फर्म की दबिश

आशा एंड आशा ट्रेडर्स के सोया ऑयल में फर्जीवाड़ा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सतना. शहर के टिकुरिया टोला स्थित आशा एंड आशा ट्रेडर्स में बुधवार को वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश पर पतंजलि फूड लिमिटेड की ओर से कानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स की टीम ने पुलिस के साथ दबिश दी। यहां बडे पैमाने पर पतंजलि फूड लिमि. (फार्मली एस रुचि सोया) कंपनी के ब्रांड रुचि स्टार व महाकोश के नाम और लोगो की कॉपी कर मिलता जुलता फर्जी नाम ऋषि स्टार और महाकासी का इस्तेमाल कर सोया ऑयल के पैकेट, लेवल और कच्चा माल बरामद किया गया। पुलिस के साथ पहुंची टीम ने इन्हें सीज कर दिया है। अब आशा एंड आशा कंपनी और उसके संस्थापक के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। दरअसल, सतना शहर में ऐसा फर्जीवाड़ा होने की जानकारी पतंजलि कंपनी को मिली थी। शिकायत में यह जानकारी सामने आई थी कि आशा एंड आशा ट्रेडर्स द्वारा पतंजलि के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर बुधवार को पतंजलि की कानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के वकील नम्रता जैन, विजय सोनी ने स्थानीय पुलिस के साथ वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश पर सम्बधित फैक्ट्री और गोदाम पर दबिश दी। निरीक्षण के दौरान नकली ब्रांड ऋषि स्टार और महाकाशी का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एवं काफी मात्रा में कच्चा माल, लेवल और पैकेजिंग आइटम जब्त किया गया।

मचाया हंगामा

पुलिस के साथ कानूनी फर्म की टीम आशा एंड आशा ट्रेडर्स पहुंची तो उसके संचालक ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने लॉ कंपनी के वकीलों के साथ भी अभद्रता की। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण बाद में शांत हो गया।

विक्रय पर लगाई गई रोक

लॉ फर्म की वकील नम्रता जैन ने बताया कि कोर्ट ऑर्डर के बाद अब सतना के इस मिस ब्रांड ऋषि स्टार और महाकाशी नाम का रिफाइंड आयल का ख़रीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा। उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी।

दिल्ली से आई लीगल टीम ने पुलिस के साथ मारा छापा

नामी कंपनी की नकल पर सतना की फर्म सीज

फैक्ट्री में कार्रवाई करती दिल्ली की लीगल टीम।

एसपी से मिली अधिवक्ताओं की टीम

बड़े पैमाने पर हो रही थी नकल

एक करोड़ का दावा भी ठोका

भू-अर्जन • 7 दिन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

4 साल बाद हुई स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्यों की मीटिंग

पतंजलि फ़ूड लिमिटेड आशा एंड आशा कंपनी व संस्थापक के खिलाफ की गई कारवाई

कमिश्नर ने

नक्काली के आरोप में न्यायालय ने सीज कराया तकरीबन 20 लाख कीमत का तेल

पतांजलि के रिफाइंड तेल की सतना के आशा ट्रेडर्स में डुप्लीकेट पैकिंग

अदालत के आदेश पर पड़ताल में आए वकीलों से उलझ गए आरोपी सेवानी बंधु

अंदर के नजारे देख उड़ गए होश

अब से नहीं बिकेगा बाजार में इसका तेल

पतांजलि ने किया एक करोड़ का दावा

Our Raids

Patanjali vs RS industries

पतंजलि फूड्स के नाम पर कॉपीराइट कर बेचा जा रहा था तेल

30 लाख का माल बरामद, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की बड़ी कार्रवाई

पीपुल्स संवाददाता ● मंडीदीप
मो.नं. 7828198478

मंडीदीप। डिजाइन की कॉपी कर नकली ए रिच स्टार तेल बनाने का कार्य कर रहे थे।

देशभर में नामचीन बड़े ब्रांडों के नाम से चलने वाली फेमस कंपनियों के प्रोडक्ट के कॉपीराइट का मामला औद्योगिक शहर मंडीदीप में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पूर्व हुए विनोद अग्रवाल की कंपनी में नकली प्रोडक्ट बनाकर बेचने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्लॉट नंबर 50 आरएस एंटरप्राइजेज में संचालित करने वाले विनोद कुमार गर्ग अपने पार्टनर राजकुमार रमनानी के साथ मिलकर फेमस ब्रांड रूचि तेल के नाम और डिजाइन की कॉपी कर नकली ए रिच स्टार तेल बनाने का कार्य कर रहे थे। तेल बेचने वाली कंपनी पर बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्णमणि तिवारी द्वारा नकल कर रही तेल की कंपनी आर ऐश इंडस्ट्रीज और नानकराम मोटूमल पर शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि मंडीदीप की कंपनी के द्वारा मंडीदीप और भोपाल के आसपास के एरिया में ए रिच स्टार के नाम से तेल बेचा जा रहा है, जो की रूचि तेल की डिजाइन की तरह ही दिखता है। ग्राहकों के बीच भ्रम पैदा हो रहा है। अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्णमणि तिवारी द्वारा वाद दायर किया गया। दिल्ली कोर्ट के द्वारा पतंजलि फूड्स के पक्ष में एक पक्षीय फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कार्रवाई करने का आदेश दे दिया था।

पतंजलि फूड्स 'रूचि सोया' के नाम पर कॉपीराइट कर बेचा जा रहा था तेल

30 लाख रुपए का माल बरामद

दिल्ली कोर्ट के आदेश पर की बड़ी कार्रवाई मामला न्यायालय में होने के बाद भी चल रहा था गोरखधंधा

युग प्रदेश न्यूज़, मण्डीदीप।

मंडीदीप देशभर में नामचीन बड़े ब्रांडों के नाम से चलने वाली फेमस कंपनियों के प्रोडक्ट के कॉपीराइट का मामला औद्योगिक शहर मंडीदीप में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कुछ दिन पूर्व हुए विनोद अग्रवाल की कंपनी में नकली प्रोडक्ट बनाकर बेचने का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्लॉट नंबर 50 आरएस एंटरप्राइजेज में फेमस ब्रांड रूचि तेल के नाम और डिजाइन की कॉपी कर नकली ए रिच स्टार तेल बेचने वाली कंपनी पर बड़ी कार्यवाही देखने को मिली पतंजलि फूड्स लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्णमणि तिवारी द्वारा नकल कर रही तेल की कंपनी आर ऐश इंडस्ट्रीज और नानकराम मोटूमल पर शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की गई कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी की मंडीदीप की कंपनी के द्वारा मंडीदीप और भोपाल के आस पास के एरिया में ए रिच स्टार के नाम से तेल बेचा जा रहा है, जो की रूचि तेल की डिजाइन की तरह ही दिखता है कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड (रूचि सोया) के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उलंघन कर ए रिच स्टार के नाम से हूबहू मिलता जुलता तेल मार्केट में बेचा जा रहा है जिससे मार्केट में ग्राहकों के बीच भ्रम पैदा हो रहा है जिसके बाद पतंजलि फूड्स लिमिटेड के द्वारा दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्णमणि तिवारी द्वारा वाद दायर किया गया दिल्ली कोर्ट के द्वारा पतंजलि फूड्स के पक्ष में एक पक्षीय फैसला सुनाते हुए कोर्ट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट को जब्त करने के लिए लोकल कमिश्नर को नियुक्त किया गया नियुक्त लोकल कमिश्नर सतीश कुमार और जगदीश चंद्र ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी और दुकान के परिसर भोपाल और मंडीदीप में पहुंच कर कार्यवाही कर ए रिच स्टार के प्रोडक्ट को जब्त किया, लोकल कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया की वहा पर पतंजलि फूड्स के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उलंघन कर ए रिच स्टार के नाम से तेल बेचा जा रहा है जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड जब्त कर माल सील किया गया।

रूचि स्टार से मिलते-जुलते नाम से तेल बनाने वाले समूह पर छापा

भास्कर न्यूज़ |भोपाल

पतंजलि फूड्स लिमिटेड (रूचि सोया) के खाद्य तेल ब्रांड ''रूचि स्टार'' के नाम और डिजाइन की कॉपी कर नकली ''रिच स्टार'' तेल बेचने के आरोप पर मंडीदीप की कंपनी और प्रोडक्ट बेचने वाली भोपाल की एक फर्म के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई हुई। दोनों प्रतिष्ठानों से 50 से 60 लाख का स्टॉक जब्त किया गया है। इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने हाल ही में लीगल फर्म नवकार एसोसिएट्स के माध्यम से दिल्ली के कमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप है की मंडीदीप की आरएस इंडस्ट्रीज रूचि स्टार ब्रांड से मिलता जुलता ''रिच स्टार'' ब्रांड बना रही है। ये भी आरोप लगाया गया कि भोपाल के जुमेराती में स्थित नानकराम मोटूमल नाम की फर्म ये तेल राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बेच रही है। पतंजलि समूह ने आरोप लगाया की ये रजिस्टर्ड कॉपीराइट और व्यापार चिह्न का उल्लंघन है। दिल्ली कोर्ट के द्वारा पतंजलि फूड्स के पक्ष में एक पक्षीय फैसला सुनाते हुए डुप्लीकेट प्रोडक्ट को जब्त करने के लिए लोकल कमिश्नर को नियुक्त किया था। शुक्रवार को लोकल कमिश्नर सतीश कुमार और जगदीश चंद्र ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी और दुकान के परिसर भोपाल और मंडीदीप में पहुंच कर कार्रवाई कर रिच स्टार के. प्रोडक्ट को जब्त किया।पतंजलि फूड्स की तरफ से अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्णमणि तिवारी मौजूद थे। पतंजलि समूह पूर्व में मप्र के रूचि सोया ब्रांड का अधिग्रहण कर चुका है।

Our Raids

Patanjali foods limited vs Migdine foodies Private limited

पत्रिका
इंदौर, गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 [अनारद, राजोद, अमझेरा, बाग, नागदा, सिंघाना]

कॉपी राइट का मामला...जयपुर, मनावर व कुक्षी में कार्रवाई

पतंजलि के नाम से मिगडाइन बिस्किट बेचने की शिकायत, गोदाम पर छापा

दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश पर कंपनी के लीगल वकील ने की कार्रवाई, 302 बॉक्स जब्त किए

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

छापे की कार्रवाई के दौरान टीम से बहस करते हुए व्यवसायी।

कार्रवाई के दौरान विवाद

मामले में बुधवार को मनावर सिंघाना रोड स्थित कॉम्प्लेक्स के पास व्यावसायिक रतनराज कन्फेक्शनरी के यहां लीगल टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम को 302 बॉक्स बिस्किट गोदाम से मिले। जिन्हें गोदाम में ही सील कर रखा गया। लीगल एडवाइजर नम्रता जैन ने बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली की साकेत न्यायालय के आदेश अनुसार की गई है। इस दौरान व्यवसायी और टीम के बीच बहस भी हुई।

गोदाम में रखे बिस्किट के बॉक्स बरामद हुए।

गोदाम पर छापा, मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ मिले

मनावर में पतंजलि से मिलते जुलते मिगडाइन दूध बिस्किट्स के गोडाउन पर रखे कार्टून। नईदुनिया

मनावर में कोर्ट के आदेशानुसार वकीलों दुकान में जानकारी लेते हुए। नईदुनिया

नईदुनिया न्यूज, मनावर : नगर में एक गोदाम से मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ मिले हैं। न्यायिक आदेश के बाद बुधवार को पतंजलि कंपनी की लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स की वकील नम्रता जैन व विजय सैनी ने मनावर पुलिस के सहयोग से यहां रत्नराज कन्फेक्शनरी गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान मिथ्या छाप लगभग 302 से अधिक कार्टून पाए गए, जिसमें 60 हजार 400 नग बिस्किट थे। जिसका वीडियो बनाकर लीगल कार्रवाई की गई। कोर्ट ने विक्रेता को दो सितंबर तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। पतंजलि कंपनी को सूचना मिली थी कि पतंजलि फूड लिमिटेड कंपनी के प्रसिद्ध ब्रांड 'पतंजलि दूध बिस्किट्स' के मिलते-जुलते नाम से खाद्य पदार्थ की बिक्री की जा रही थी। इसको लेकर नगर में रत्नराज कन्फेक्शनरी गोदाम पर कोर्ट आदेशानुसार छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान फर्जी ब्रांड मिगडाइन दूध बिस्किट्स के नाम से निर्मित बिस्किट्स और उनकी पैकेजिंग व लेबल के 302 कार्टून पाए गए। पतंजलि फूड लिमिटेड ने जांच कर अदालती आदेश को निष्पादित किया है। जयपुर की मिगडाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की है। अदालती आदेश के अनुसार तकनीकी रूप से अवैध बिस्किट्स के सभी प्रयोग और विपणन पर रोक लग चुकी है। अब मिगडाइन दूध बिस्किट्स नाम से खाद्य पदार्थ खरीदना, स्टाक में रखना, बेचना, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा।

Our Raids

Patanjali vs Jindal brother / Sidarth brother / Girnar Industries

तेल बेचने वालों पर दिल्ली टीम ने की छापामार कार्रवाई

छिंदवाड़ा । कंपनी के नाम पर नकली प्रोडक्ट देने का आरोप, 6 प्रतिष्ठानों पर मिली नकली सामग्री कंपनी के नाम से बेचे जा रहे नकली तेल के आरोप में दिल्ली से आई पतंजली फूड लिमीटेड की एक टीम ने छापामार कार्रवाई कर तकरीबन 6 दुकानों से बडी संख्या में तेल के पाउच और केन जब्त की। इन तमाम पाउच और केन को उसी स्थान पर सील किया गया है। इसे कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की बात टीम की अधिवक्ता ने कही है। गौरतलब है कि लंबे समय से गांधीगंज में कंपनी के नाम से तेल के पाउच्च और केन बेच्चे जाने की खबरें प्रकाश में आ रही थी। गांधीगंज में आज उस समय हडकंप मच गया जब दिल्ली से आई एक टीम ने अचानक कुछ तेल की दुकानों में छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दुकानों से कंपनी के नकली पाउच और केन को जब्त किए जाने की बात टीम के लोगों ने बताई है। टीम की सदस्य और अधिवक्ता नम्रता जैन ने बताया कि दिल्ली में हमने एक केस फाईल किया था कि उनकी कंपनी के नाम से नकली प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा था। इस मामले में उन्होने नकली और असली दोनों सेंपल भी न्यायालय के सामने रखे थे। इसके बाद ये यहां पर कानूनी तरीके से स्थानीय अधिकारियों के साथ उन तेल की दुकानों पर छापामार कार्रवाई करने आए है जहां से ये तेल बेचा जा रहा था। इसमें सिद्धार्थ सेल्स में बडी संख्या में तेल के पाउच मिले है। इन तमाम पाउच और केन को सील कर दिया गया है। इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा गंज के आस पास की ही पांच और दुकानों में भी छापामार कार्रवाई की गई है। इन सभी प्रतिष्ठानों में इस तरह के नकली प्रोडक्ट मिले है। सभी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। ये प्रोडक्ट महाकलश के नाम से बनाए गए है।

दुकान संचालक बोले हम सही- इस मामले में महाकलश तेल बेचने वाले सिद्धार्थ सेल्स के संचालक का कहना है कि वह पूरी तरह सही है। उन्होने पाउच में अपना नाम और सारी जानकारी दी है। इसके लिए वे न्यायालय में जवाब देंगे। इसमें उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होने कहा कि इस मामले में उनपर उंगलियां उठाई नहीं जानी चाहिए। फिलहाल दिल्ली से आई टीम ने जब्त सामग्री को सील करने की बात कही है।

राज एक्सप्रेस

नगर निगम काटेगा रसीद

कंपनी के नाम पर नकली प्रोडक्ट देने का आरोप, 6 प्रतिष्ठानों पर मिली नकली सामग्री

तेल बेचने वालों पर दिल्ली टीम ने की छापामार कार्रवाई

दुकान संचालक बोले हम सही

Our Raids

Saras industries V/S Mahaveer industry (Surat) Gujrat

સરસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝની પ્રખ્યાત બ્રાન્ડ સારસના નામ અને લોગોની

નકલ કરીને સમાન નકલી નામ સબરસ અને અંકુર સબરસ બનાવતી સુરતની કંપનીનો પર્દાફાશ

રાજારંગ દૈનિક

સરસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના લીગલ એડવાઈઝર, નવકાર એસોસિએટ્સના એડવોકેટ નમ્રતા જૈન, વિજય સોની, ક્રિષ્નામણિ તિવારી, ઈન્ટર્ન આયુષ લોધી, સુરતમાં નકલી ડિટર્જન્ટ બનાવતી કંપની મહાવીર ઈન્ડસ્ટ્રીઝની સતત ફરિયાદો મળી રહી હતી ત્યારે સોમવારે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી જે નકલી ડીટરજન્ટ માર્કેટમાં સબરસ અને અંકુર સબરસના નામે વેચવામાં આવે છે, જે બિલકુલ પ્રખ્યાત સરસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ બ્રાન્ડ સરસ ડીટરજન્ટ જેવું લાગે છે અને જે સારસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ અને અંકુરના રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડ માર્ક અને રજિસ્ટર્ડ કોપીરાઈટનું ઉલ્લંઘન કરે છે સબરસના નામે ડિટર્જન્ટ માર્કેટમાં વેચવામાં આવી રહ્યું છે, આ પછી, દિલ્હી કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત સ્થાનિક કમિશનર અતુલ ત્રિપાઠી દ્વારા નવકાર એસોસિએટ્સના એડવોકેટ્સ દ્વારા સારસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા કંપનીના પરિસરમાં પહોંચીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને સ્થાનિક કમિશનરની કાર્યવાહીમાં સાબરસ અને અંકુર સબરસના નામે ડીટરજન્ટનું વેચાણ થતું હોવાનું જણાયું હતું. સારસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડ માર્ક અને રજિસ્ટર્ડ કોપીરાઈટ, જે સ્થાનિક સ્તરે વેચવામાં આવતા હતા.

આ સંદર્ભે, ૨૩-સપ્ટેમ્બર-૨૪ ના રોજ, કાયદાકીય પેઢી નવકાર એસોસિએટ્સના એડવોકેટ નમ્રતા જૈન દ્વારા સુરત પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્સ્પેક્ટરની આગેવાની હેઠળ કોમર્શિયલ કોર્ટ, દિલ્હીના આદેશથી સંબંધિત ફેક્ટરી પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. વિજય સોની, રેઇડ)ને આપવામાં આવી હતી. નિરીક્ષણ દરમિયાન, નકલી બ્રાન્ડ સબરસ અને અંકુર સબરસના માલસામાન, લેબલ્સ અને પેકેજિંગ વસ્તુઓનો જંગી જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. કોમર્શિયલ કોર્ટના આદેશ બહાર થતાં, હવે સબરસ અને અંકુર સબરસ નામના ડિટર્જન્ટની ખરીદી, સ્ટોક, વેચાણ, માર્કેટિંગ અને જાહેરાત કોર્ટના આદેશનું ઉલ્લંઘન થશે અને તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

लोकतेज
epaper.loktej.com
24 Sep 2024 - Page 6

सरस इंडस्ट्रीज के खिलाफ नकली उत्पाद बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई

सूरत में सबरस और अंकुर सबरस नाम से नकली डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़

लोकतेज, सूरत। सरस इंडस्ट्रीज के प्रसिद्ध ब्रांड सरस के नाम और लोगो की नकल कर मिलते-जुलते फर्जी नाम सबरस और अंकुर सबरस निर्माता करने वाली सूरत की एक कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सरस इंडस्ट्रीज को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सूरत में महावीर इंडस्ट्रीज नामक एक कंपनी सबरस और अंकुर सबरस के नाम से नकली डिटर्जेंट बाजार में बेच रही है, जो हूबहू सरस इंडस्ट्रीज के ब्रांड सरस डिटर्जेंट की तरह दिखता है। इस मामले में, सरस इंडस्ट्रीज ने दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में एक वाद दायर किया।दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर अतुल त्रिपाठी ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंचकर कार्रवाई की और डुप्लीकेट प्रोडक्ट जब्त किए। लोकल कमिश्नर की कार्रवाई में पाया गया कि कंपनी सरस इंडस्ट्रीज के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन कर सबरस और अंकुर सबरस के नाम से डिटर्जेंट बेच रही थी। दिनांक 23 सितंबर 2024 को, कानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन और विजय सोनी ने सूरत पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश पर संबंधित फैक्ट्री पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान नकली ब्रांड सबरस और अंकुर सबरस का काफी मात्रा में माल, लेबल और पैकेजिंग आइटम जब्त किए गए। इस वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के जारी होने के बाद से अब सबरस और अंकुर सबरस नाम का डिटर्जेंट खरीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग और विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Our Raids

Jai Grah Udyog v/s Shree Gurukool Industries

अजमेर अजमेर, मंगलवार, 8 अक्टूबर, 2024

सफलता, निष्पक्ष और विश्वसनीयता के 89

अजमेर में माखन मलाई नाम से उत्पाद बनाने वाले ठिकाने पर दबिश

दिल्ली की वाणिज्यिक अदालत के फैसले के आधार पर पहुंची टीम

कासं/अजमेर

दिल्ली की वाणिज्यिक अदालत के आदेशानुसार सोमवार को दिल्ली की नवकार एसोसिएट्स के वकीलों की टीम ने माखन-मलाई ब्रांड के नाम से अजमेर में कारोबार करने वालों के ठिकाने पर दबिश देकर जांच की और कुछ नमूना जब्त किया है। नवकार एसोसिएट्स के वकील कृति सोनी के अनुसार एडवोकेट नम्रता जैन व विजय सोनी ने दिल्ली के वाणिज्यिक अदालत में एक वाद पेश किया था कि माखन मलाई ब्रांड उनकी रजिस्टर्ड संस्था है। जिसके उत्पाद की गुणवत्ता ही उनकी पहचान और ग्राहकों का भरोसा है। उक्त अदालत ने वादी के ब्रांड का नाम बिना अनुमति के उपयोग करने वालों पर रोक लगाने का एक पक्षीय आदेश दिया है। वह उक्त आदेश के आधार पर अजमेर पुलिस अधीक्षक से मिले और उनके द्वारा पुलिस कर्मी उपलब्ध कराए जाने के बाद उक्त ब्रांड का उपयोग करने वाले ठिकाने पर दबिश देकर वहां उपलब्ध उत्पाद की जांच की है। उन्होंने बताया कि वहां से कुछ माल जब्त कर उसकी तकनीकी जांच कराई जाएगी और उत्पादक को इस ब्रांड से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाने और बेचने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में पुलिस कर्मियों के अलावा एसोसिएट्स की नम्रता जैन, विजय सोनी, कृष्ण मणि भी शामिल थे।

जिला परिषद में साप्ताहिक जन सुनवाई आज

कासं/अजमेर।

जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को साप्ताहिक जन सुनवाई होगी। जिसमें विभिन्न प्रतिवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी जिला प्रमुख कार्यालय में दोपहर 12.15 बजे से साप्ताहिक जन सुनवाई होगी। जिसमें जिला परिषद व अधीनस्थ विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

स्थाई समितियों की भी बैठक होगी

अजमेर। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को दोपहर 1.15 बजे प्रशासन एवं स्थापना सहित शिक्षा स्थाई समितियों की बैठक होगी।

जिसमें समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों के अलावा जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित होंगे। बैठक में प्रशासनिक एवं विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श कर निर्णय किए जाएंगे।

Our Raids

Patanjali Foods v/s Ashu Industries

Our Raids

Patanjali Foods v/s STC Foods

Our Raids

Kisan Irrigations v/s Krishna Industries

किसान के नकली पाइप बना रही फैक्ट्री शील्ड

ब्रांडेड किसान कम्पनी की लीगल टीम ने कोर्ट के आदेश पर कराई कार्यवाही

किसान का असली लोगो

सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई एएसआई की कार

कोर्ट के आदेश पर कृष्णा इंडस्ट्रीज पाइप फैक्ट्री व गोदाम सील

» किसान पाइप कंपनी की शिकायत पर पांच सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई

भास्कर न्यूज़ | छतरपुर

शहर के नारायणपुरा रोड स्थित कृष्णा इण्डस्ट्रीज पीवीसी, एचडीपी पाइप के निर्माता और शासकीय सप्लायर के यहां सोमवार को दिल्ली की 5 सदस्यीय टीम ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है। उक्त फैक्ट्री संचालक सीमा जानकी गुप्ता पर किसान कंपनी के पाइप का डुप्लीकेट माल तैयार करने का आरोप है। किसान कंपनी की टीम ने मौके पर नकली प्रोडक्ट्स की पुष्टि की है।

दिल्ली डिस्ट्रिक कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए किसान फर्म की 5 सदस्यीय टीम सोमवार को जिला मुख्यालय आई। टीम ने यहां पर पहले एसपी को छतरपुर में बन रहे नकली प्रोडक्ट को लेकर कोर्ट के आदेश से अवगत कराया। इसके बाद उक्त टीम ओरछा रोड थाने पहुंची, जहां पर सीएसपी अमन मिश्रा के नेतृत्व में आवेदन देकर किसान कंपनी के नाम से नकली प्रोडक्ट बनाने वाली फर्म पर कोर्ट का आदेश का पालन करने पुलिस बल मांगा। इसके बाद टीम ओरछा रोड पुलिस के साथ नारायणपुरा रोड पर स्थित कृष्णा इण्डस्ट्रीज पहुंची। यहां तहसीलदार सहित एसडीएम अखिल राठौर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली की टीम ने फैक्ट्री को बंद करवाते हुए फर्म से जुड़े दस्तावेज दिए। इसके बाद देर रात फैक्ट्री व गोदामों को टीम ने सील कर दिया। कोर्ट कमिश्नर अमन शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री, गोदाम सील कर दिए गए हैं। किसान कंपनी के एड. विजय सोनी ने दावा किया कि यहां पर नकली प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा था, यह पुष्टि जांच पड़ताल में हुई है। अभी फैक्ट्री को बंद कराकर सील करने की कार्रवाई की गई है। यहां करीब 60 लाख रुपए कीमत का डुप्लीकेट पाइप सील किया है। वहीं फैक्ट्री संचालक जानकी गुप्ता ने बताया कि उनका ब्रांड एटीएस किसान के नाम से है। इसके सभी वैध दस्तावेज हैं, फिर भी फैक्ट्री को सील किया गया है।

छतरपुर | बड़े ब्रांड के डुप्लीकेट पाइप बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई।

चोरी के संदेह में तीन नाबालिगों का जुलूस निकालने पर बाल आयोग ने लिया संज्ञान

» बाल संरक्षण आयोग ने

चोरी करना पाप है, के लगवाए थे नारे

स्टार हेल्थ इ... पॉलिसी नहीं...

Our Raids

Parle Products Private Limited v/s Pankaj Confectionery

फर्जी पारले प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश

पारले के नकली प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई

- नकली चॉकलेट बनाकर बाजारों में बेची

Our Raids

Parle Products Private Limited v/s Pankaj Confectionery

दैनिक भास्कर

जोधपुर 13-11-2024

बच्चों की सेहत पर खतरा • कंपनी को ढाई महीने से मिल रही थी शिकायतें, कोर्ट के आदेश पर माल सीज

बाजार में बिक रही ब्रांडेड कंपनी से मिलती-जुलती नकली टॉफियां

कंपनी के प्रतिनिधि ने फैक्ट्री पहुंचकर पकड़ी नकल

फर्जी पारले प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश

विश्वास एक्सप्रेस

जोधपुर। शहर में फर्जी पारले प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश किया गया है।

जोधपुर शहर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए VISHWAS EXPRESS के Facebook पेज को लाइक करें और VISHWAS EXPRESS के Instagram व Twitter अकाउंट को फॉलो करें

बोरानाडा स्थित पंकज कनफेक्शनरी पर पुलिस ने दी दबिश

बन रही थी पारले की नकली चॉकलेट

सूने मकान से लाखों के जेवरात और नगदी पार

टैंकर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Our Raids

Patanjali Foods Vs Anil Industries (Kareli)

पतंजलि फ़ूड लिमिटेड कंपनी के प्रसिद्ध ब्रांड महाकोश के नाम और लोगो की कॉपी कर मिलते जुलते फर्जी नाम महायश के नाम से तेल निर्माता करने वाली करेली की कंपनी का भांडा फोड़

नर्मदा भूमि

बड़ी संख्या में तेल के पैकेट जप्त, निर्माता कंपनी का भंडाफोड़

मिलते जुलते ब्रांड बनाकर तेल बेचने वालों पर कार्रवाई

निजी कंपनी में की गई तेल पैकिंग की जांच

पतंजलि फूड लिमिटेड कंपनी के ब्रांड महाकोश से मिलते जुलते नाम से पैकिंग की प्राप्त हुई थी शिकायत

Our Raids

Patanjali Foods Vs Chandrabhan Sadanmal (Itarsi)

पत्रिका

इटारसी पत्रिका

प्राइम

नर्मदापुरम. सिवनीमालवा . माखननगर . सेमरीहरचंद . बनखेड़ी . पिपरिया . सोहागपुर . पचमढ़ी . तवानगर. शिवपुर

patrika.com पत्रिका. नर्मदापुरम, मंगलवार, 24 दिसंबर, 2024

नीलम स्वीट्स, बेकरी और नमकीन
रेल्वे स्टेशन के सामने, इटारसी

रीडर्स कनेक्ट
हमें भेजें
खबरें | समस्याएं | सुझाव
फोटो | वीडियो | पॉडकास्ट

ब्रांडेड तेल की इटारसी शहर में बिक्री कम होने पर कंपनी ने कराई थी जांच, जिसमें हुआ था खुलासा

मिलते जुलते नाम से बाजार में बेच रहे थे तेल, कोर्ट के आदेश पर माल सील

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इटारसी. देश की एक बड़ी नामी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नाम और लोगो को कॉपी कर फर्जी नाम से बाजार में तेल खपाया जा रहा था।

मामले में सोमवार को कोर्ट के आदेश पर कंपनी के अधिवक्ता और पुलिस ने इटारसी के लोहारिया रोड स्थित निर्माता फैक्ट्री पर पहुंचकर कार्रवाई की। यहां करीब दस लाख रुपए के तैयार माल सहित पैकिंग मटेरियल को सील कर दिया गया।

नामी कंपनी के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स की अधिवक्ता नम्रता जैन और विजय सोनी ने बताया कि मामूली बदलाव कर ब्रांड की नकल कर रही तेल की कंपनी पर सोमवार को कार्रवाई की गई। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इटारसी में तेल निर्माता चंद्रभान सदनमल द्वारा हुबहु तेल की पैकिंग कर मार्केट में बेचा जा रहा है। प्रसिद्ध ब्रांड की तरह ही इटारसी की तेल कंपनी द्वारा पैकिंग की जा रही थी और मार्केट में लंबे समय से बेचा जा रहा था। इसके बाद नामी कंपनी ने दिल्ली वाणिज्य न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन और विजय सोनी द्वारा वाद दायर किया गया था।

पतंजली फूड्स लिमिटेड की लीगल एडवाइजर अधिवक्ता नम्रता जैन ने कहा कि इटारसी में रजिस्टर्ड ट्रैडमार्ग की तरह प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। मामले में कोर्ट में केस फाइल किया था। कोर्ट के आदेश पर यह प्रोडक्ट को बाजार में बिकने से बंद कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान लेडीस स्टॉफ से बदसलूकी की गई। हमने इसके बावजूद न्यायालय के आदेश का पालन करवाया। गोदाम और दुकान पर कार्रवाई की गई है। करीब दस लाख रुपए का माल, लेबल और पैकेजिंग आइटम सील किया गया।

तेल निर्माता कंपनी के संचालक विशाल सिंधवानी ने कहा कि हमारे परिसर में सर्च वारंट लेकर आए थे, बिना नोटिस दिए घुस गए। उनके प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट के नाम में बहुत अंतर है। कार्रवाई का हमने विरोध किया, लेकिन मनमाने तरीके से कार्रवाई की गई। मामले में अब हम भी दिल्ली कोर्ट जाएंगे।

कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, माल सील किया

सोमवार को कानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन और विजय सोनी द्वारा इटारसी पुलिस के साथ वाणिज्यिक न्यायालय दिल्ली के आदेश पर संबंधित फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान स्थानीय ब्रांड का बड़ी मात्रा में तेल, लेबल और पैकेजिंग आइटम सील किया गया। जिसकी कीमत करीब दस लाख रुपए बताई गई। कोर्ट ऑर्डर के जारी होने से अब रिच स्टार के नाम से तेल को खरीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा। ब्रांडेड कंपनी के अधिवक्ता ने बताया कि ब्रांड तेल की इटारसी में बिक्री कम होने पर कंपनी ने जांच करवाई थी। जिसमें पता चला कि इटारसी में प्रसिद्ध ब्रांड के नाम और लोगो की कॉपी कर मिलते जुलते फर्जी नाम से तेल पैक करके बाजार में बेचा जा रहा है। इसलिए बिक्री में गिरावटहुई है।

इटारसी तेल निर्माता की कंपनी पर कार्रवाई

रिच स्टार नाम से बाजार में बेचा जा रहा था नकली तेल

इटारसी, 23 दिसंबर. पतंजलि फूड लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा नकल कर रही स्थानीय तेल की कंपनी पर सोमवार को बड़ी कार्यवाही की गई.

पतंजलि कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इटारसी में नकली तेल निर्माता चंद्रभान सदनमल के द्वारा रिच स्टार के नाम से नकली तेल मार्केट में बेचा जा रहा है, जो हुबहु पतंजलि के ब्रांड रुचि स्टार की तरह ही दिखता है. इसमें फूड लिमिटेड के

रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन है.

इसे लेकर पतंजलि फूड लिमिटेड द्वारा दिल्ली वाणिज्यीक न्यायालय में वाद दायर किया गया. दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर विक्रम चौधरी ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंच कर कार्यवाई कर तेल जब्त किया. लोकल कमिश्नर की कार्यवाई में पाया गया कि वहां पतंजलि फूड्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन कर रिच स्टार के नाम से तेल बेचा जा रहा है.

जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज कर माल सील किया गया. दिल्ली कोर्ट के आदेश पर सम्बंधित फैक्ट्री पर दबिश दी गई. निरीक्षण के दौरान नकली ब्रांड रिच स्टार का काफी मात्रा में तेल, लेबल और पैकेजिंग आइटम जब्त किया गया.

दैनिक भास्कर | इटारसी भास्कर 24-12-2024

नाम का विवाद : कॉपी एक्ट का उल्लंघन, दिल्ली के वाणिज्य कोर्ट में मामला, अधिकारी आए

पतंजलि रुचि स्टार- इटारसी का रिच स्टार: अफसर पहुंचे फैक्टरी, तेल और लेबल जब्त

कोर्ट ने कमिश्नर को सौंपी जांच

नाम, पता, डिजाइन अलग, सिर्फ पैकेट की पत्ती का रंग एक जैसा

मामूली बदलाव कर ब्रांड की नकल की पतंजलि

कोर्ट का आदेश, फैक्टरी के परिसर में की सर्चिंग

Our Raids

Patanjali Foods Vs Shailesh Nayak (Gairatganj)

स्टार समाचार

दिन गुरुवार, 26 दिसंबर 2024

प्रसिद्ध ब्रांड "रुचि स्टार" के नाम और लोगो की कॉपी कर मिलते जुलते फर्जी नाम एसटीआर गोल्ड के नाम से तेल निर्माता करने वाली की कंपनी का भांडा फोड़

संचालक शैलेश नायक से पूछताछ करते अधिकारी

कई दुकानों से बड़ी मात्रा में फर्जी ब्रांड वाला तेल जप्त किया गया

रायसेन। गैरतगंज कई सालों से गैरतगंज में नकली मिलते जुलते नाम वाला ब्रांड बनाकर तेल का व्यापार जोर शोरो पर फूल रहा है लेकिन अधिकारी और नेताओं की साथ गांठ से आमजन की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है कई बार छापा डालने के बाद भी आज भी कंपनी द्वारा नकली ब्रांड को असली ब्रांड के नाम से बेच कर लाखों रुपये की मोटी कमाई की जा रही जा रहा है और जनप्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए जनता की जान से खिलवाड़ होता देख रहे हैं गैरतगंज मंगलवार को पतंजलि फूड लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा नकल कर रही तेल की कंपनी पर मंगलवार को बड़ी कार्यवाही की गई कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी की रायसेन में नकली तेल निर्माता गैरतगंज शैलेश नायक के द्वारा एसटीआर गोल्ड के नाम से नकली तेल मार्केट में बेचा जा रहा है, जो की हुबहू प्रसिद्ध पतंजलि के ब्रांड रुचि स्टार की तरह ही दीखता है जो की पतंजलि फूड लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उलंघन कर एसटीआर गोल्ड के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है इसके बाद पतंजलि फूड लिमिटेड द्वारा दिल्ली वाणिज्यीक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा वाद दायर किया गया दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर श्रेयस मलिक ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनि के परिसर में पहुंच कर कार्यवाही कर तेल जब्त किया, लोकल कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया की वहा पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उलंघन कर एसटीआर गोल्ड के नाम से तेल बेचा जा रहा है जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज़र कर मॉल सील किया गया

इस संबंध में दिनांक 24- दिसंबर -24, को क़ानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा गैरतगंज, रायसेन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) पर सम्बधित फैक्ट्री पर दबिश दी गई। निरीक्षण के दौरान नक़ली ब्रांड एसटीआर गोल्ड का काफ़ी मात्रा में तेल, लेबल और पैकेजिंग आइटम जप्त किया गया।

उक्त वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) के जारी होते से अब एसटीआर गोल्ड के नाम से तेल को ख़रीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा एवं उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कारवाई की जावेगी।

Our Raids

Kisan Irrigations Vs New Utkarsh Industries

प्रदेश टुडे

Digital Edition

PRADESHTODAY.COM

ग्वालियर, रविवार 29 दिसंबर 2024

फर्जी तरीके से मोनो लगाकर तैयार किए जा रहे थे पाइप, फैक्ट्री सील

जालसाज निकले न्यू उत्कर्ष फर्म संचालक, नकली किसान पाइप बनाकर ग्राहकों से बड़ी ठगी

प्रदेश टुडे संवाददाता, दतिया

नितिन गुगोरिया

ऐसे हुआ खुलासा

फर्म तीन भाइयों के नाम

जीएसटी को चुकाई थी लाखों की रिकवरी

Our Raids

Patanjali Foods Vs MFP Private Limited

न्यूट्रीलो के नाम से सोया चंक्स निर्माता करने वाली भिवाड़ी की कंपनी का भांडा फोड़

भिवाड़ी(भिवाड़ी टाइम्स)।पतंजलि फ़ूड लिमिटेड के लीगल एडवाइज़र नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा नक़ल कर रही सोया चंक्स की कंपनी पर सोमवार को बड़ी कार्यवाही की गई। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी की भिवाड़ी में नकली सोया चंक्स निर्माता एम एफ पी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा न्यूट्रिलो के नाम से नकली सोया चंक्स मार्केट में बेचा जा रहा है, जो की हूबहू प्रसिद्ध पतंजलि के ब्रांड न्यूट्रेला की तरह ही दीखता है जो की पतंजलि फ़ूड लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उलंघन कर न्यूट्रिलो के नाम से सोया चंक्स मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके बाद पतंजलि फ़ूड लिमिटेड द्वारा दिल्ली वाणिज्यीक न्यायायलय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता

नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा वाद दायर किया गया दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर देवेंद्र प्रताप सिंह ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनि के परिसर में पहुंच कर कार्यवाही कर सोया चंक्स जब्त किया, लोकल कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया की वहा पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उलंघन कर न्यूट्रिलो के नाम से सोया चंक्स बेचा जा रहा है जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज़र कर मॉल सील किया गया। इस संबंध में 30 दिसंबर 24, को क़ानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा भिवाड़ी, राजस्थान पुलिस स्टेशन

के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) पर सम्बधित फैक्ट्री पर दबिश दी गई। निरीक्षण के दौरान नक़ली ब्रांड न्यूट्रिलो का काफ़ी मात्रा में सोया चंक्स, लेबल और पैकेजिंग आइटम जप्त किया गया। उक्त वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के जारी होते से अब न्यूट्रिलो के नाम से सोया चंक्स को ख़रीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा एवं उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कारवाई की जावेगी।

2025

RAIDS TO BE CONTINUED

Our Raids

Patanjali Foods Ltd. Vs Nitin Maheshwari (Tulsi Oil)

कॉपीराइट एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, नकली 'महाकोश' तेल का भंडाफोड़

By Deepak Kankar — On Jan 2, 2025

Share | 127 | 0

रायसेन। जिले में कॉपीराइट एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां हजारों लीटर नकली खाने का तेल और कई ड्रम जब्त किए गए हैं। इस मामले में 'महाकोश' ब्रांड के नाम से नकली तेल का उत्पादन और बिक्री की जा रही थी, जो पतंजलि के 'महाकोश' ब्रांड से मिलता-जुलता था।

पतंजलि कंपनी के वकीलों और कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। नकली ब्रांड 'महाकोशत' के नाम से बाजार में तेल बेचा जा रहा था, जो हूबहू असली ब्रांड के पैकेजिंग और डिजाइन की नकल था।

इस अवैध कारोबार को नितिन माहेश्वरी नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बड़े पैमाने पर नकली तेल का उत्पादन कर बाजार में इसकी आपूर्ति शुरू कर दी थी।

कार्रवाई के दौरा भारी मात्रा में ड्रम और पैकेजिंग
नकली उत्पाद की सप्लाई चेन की जांच जारी है।
पतंजलि के अधिकारियों ने कहा कि ग्राहकों के स्वास्थ्य और विश्वास को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे नकली उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस और कंपनी के अधिकारी अभी भी मौके पर मौजूद हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों तक भी पहुंचा जा सके।

Share | Facebook | Twitter | Google+ | Reddit | 127 | 0

दैनिक भास्कर — रायसेन 03-01-2025

जिले में एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई • दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश पर पहुंची थी टीम

महाकोश तेल की तरह दिखने वाला ब्रांड बेचने वाली फर्म पर कार्रवाई, 20 लाख का तेल जब्त

शहर में तुलसी आइल नाम से संचालित है फर्म, निर्माता बोले- हमारा ब्रांड 6 साल से रजिस्टर्ड है

यह माल जब्त किया
12-12 लीटर तेल के 500 डिब्बे | 15-15 लीटर की 40 कैन

Our Raids

Jain Irrigations Systems Ltd. Vs Jain Pipes and Sprinkles Pvt. Ltd.

सांध्य दैनिक **फास्ट टुडे** | देश

"जैन पाइप" के नाम से कॉपी कर

फर्जी नाम से पाइप निर्माण करने वाली कंपनी का भंडाफोड़

फास्ट टुडे...इंदौर

जैन इरिगेशंस सिस्टम्स लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा नकल कर रही पाइप की कंपनी पर शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की गई।

कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इंदौर में नकली पाइप निर्माता जैन पाइप्स एंड स्प्रिंकलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा नकली पाइप मार्केट में बेचे जा रहे है, जो कि हूबहू प्रसिद्ध कंपनी जैन इरिगेशंस सिस्टम्स लिमिटेड के ब्रांड जैन पाइप की तरह ही दिखता है जो कि जैन इरिगेशंस सिस्टम्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर नकली पाइप मार्केट में बेचे जा रहे है। इसके बाद जैन इरिगेशंस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन,

विजय सोनी द्वारा वाद दायर किया गया। दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर प्रत्यूष रंजन ने स्थानीय पुलिस की मदद से कंपनी के परिसर में पहुंच कर कार्यवाही कर कई पाइप जब्त किए। स्थानीय कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया कि वहा पर जैन इरिगेशंस सिस्टम्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उलंघन कर नकली नाम से पाइप बेचे जा रहे है। जिसे स्थानीय कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीजर कर माल सील किया गया।

इस संबंध में दिनांक 24-जनवरी और 25 जनवरी को क़ानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा इंदौर (मध्य प्रदेश) पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) पर सम्बंधित फैक्ट्री पर दबिश (Raid) दी गई। निरीक्षण के दोरान नकली ब्रांड के नाम से काफी मात्रा में पाइप जप्त किए गए।

उक्त वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) के जारी होते से अब इस नाम से पाइप को ख़रीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा एवं जो ऐसा करेगा उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कारवाई की जाएगी।

24 घंटे 365 दिन **खुलासा फर्स्ट**

epaper.khulasafirst.com
25 Jan 2025 - Page 22

दिल्ली में केस दायर... इंदौर में पकड़ाई फर्जी जैन पाइप की फैक्ट्री, 1 करोड़ के पाइप जब्त

खुलासा फर्स्ट...इंदौर

प्रख्यात जैन पाइप के लोगो और नाम का इस्तेमाल कर फर्जी पाइप बनाकर बेच रही फर्जी कंपनी पर कल दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर के साथ लसूड़िया पुलिस ने छापा मारा और करीब एक करोड़ रुपए के नकली पाइप जब्त किए।

जलगांव बेस्ड कंपनी जैन इरिगेशंस सिस्टम्स लिमिटेड ने इस मामले में दिल्ली में केस दायर किया था। कंपनी के लीगल एडवायजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी ने बताया शिकायत मिली थी कि प्रख्यात जैन पाइप के नाम व लोगो की नकल कर लसूड़िया मोरी क्षेत्र के 323 एसआर कंपाउंड स्थित जैन पाइप्स एंड स्प्रिंकलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक सुनील कुमार द्वारा नकली जैन पाइप बनाकर बाजार में उतार दिए गए हैं। इनके द्वारा बनाया गया जैन पाइप हूबहू असली जैसा दिखता है।

लगातार शिकायत मिलने के बाद की कार्रवाई... उन्होंने बताया कि इस फर्जी कंपनी ने जैन इरिगेशंस सिस्टम्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिह्न और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल को भी कॉपी कर लिया था। लगातार शिकायत मिलने के बाद जैन इरिगेशंस सिस्टम्स लिमिटेड की ओर से दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी के माध्यम से वाद दायर किया गया। दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर प्रत्यूष रंजन ने लसूड़िया पुलिस के सहयोग से फर्जी कंपनी के परिसर में पहुंचकर कार्रवाई कर करीब एक करोड़ रुपए के नकली पाइप जब्त किए।

लोकल कमिश्नर की कार्रवाई में पाया कि वहां जैन इरिगेशंस सिस्टम्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिह्न और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन कर नकली नाम से पाइप बेचे जा रहे हैं, जिसे लोकल कमिश्नर द्वारा सर्च एंड सीजर कर माल सील किया गया। इस मौके पर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी भी मौजूद थे।

Our Raids

Patanjali Foods Ltd. Vs Roopnagar Food Pvt. Ltd.

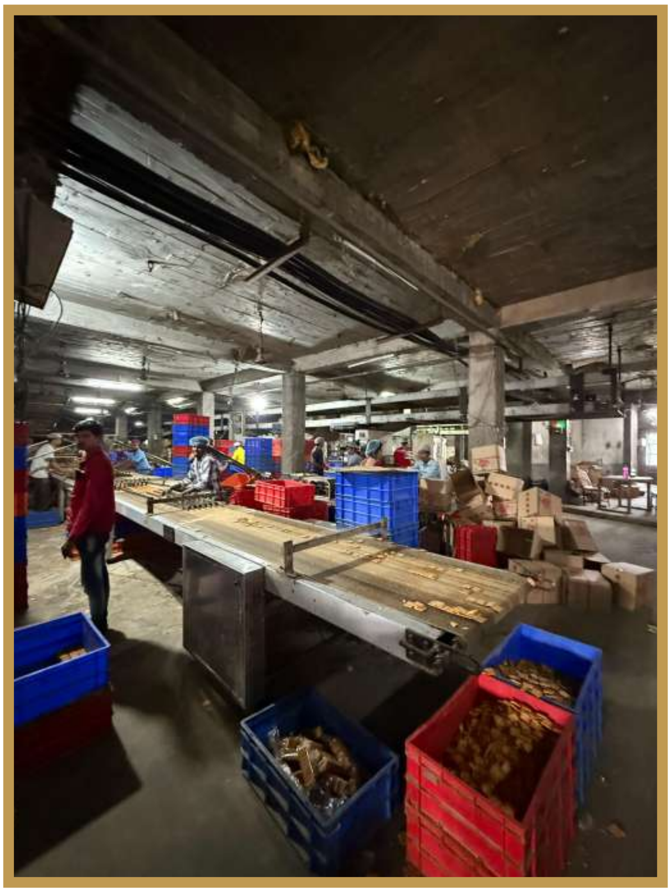

Our Raids

Fine Bakery Vs Fine Bakery (Kolar, Karnataka)

Our Clients

Our Clients

Our Clients

SILVER COIN	PEACE AND JOY THE GRAND MACHAL	a Agro Phos
SYNCOM	CUREWIN HYLICO	TINKU'S CAFÉ
AL ALIGARH LOCKS PVT. LTD.	SR 25 QUALITY CONFECTIONERY	hp
मोयरा सरिया	KisaN The Mark of Excellence	Saras DETERGENT Yehi hai Sahi!!
JADUGAR	PLASTO प्लास्टो है तो गॅरन्टी है	Swadist

Our Clients

CLANTHIS	Dammani's	nilrise	
Mangilal DOODHWALA	KSR SYMBOL OF TRUST	Ravi	Uday
RECKON CHEMICALS (PVT) LTD.	SYNCOM	WELLCURE REMEDIES	चमेली माचिस
Sapphire Pharmaceuticals Let's make Life Healthier..	24 CARATS	ThinkEMC	जालिम लोशन
KMP A part of your family....	Sadbhavana सद्भावना	JAY MATA DI Builders & Developers Pvt. Ltd.	ASTRAL PIPES

Navkar Associates

Head Office : office No.- 317, 3rd Floor, Shekhar Central, Palasia Square
A.B. Road Indore - 452 001 (M.P.) **HO. Ph.** : 0731-4037196
Email : navkarassociates32@gmail.com, namrata32@gmail.com

Branch Office : 13th Floor, Office No. B-1312, Sivanta-1, Opposite Bank of Baroda,
Ashram Road, Paldi, Ahmedabad (Guj.) - 380007 **BO. Ph.** : 797-9688061
Email : navkarassociatesgujarat32@gmail.com

Branches:
Delhi | Mumbai | Ahmedabad

TM COPYRIGHT PATENT | Design | Attorneys & Consultants
Registration for peace & prosperity

Web. : www.navkarassociates.co.in

Visit us